राजेस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243777 CG-DL-E-21022023-243777

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] No. 96] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.िन. 118(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख), धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, नियम 16गग, के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1118 GI/2023 (1)

'16गग. धारा 10(23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन विहित संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.—ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसका धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—

(क) प्ररूप संख्या 10ख जहां—

- (I) उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) और (viक) के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक है; या
- (II) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है ; या
- (III) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत से बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है ;

(ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख।

स्पष्टीकरण.- खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए "विदेशी अभिदाय" पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है।'।

3. मूल नियम के नियम 17ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'17ख. पूर्त या धार्मिक न्यास आदि के मामले में संपरीक्षा रिपोर्ट.— किसी न्यास या संस्था के लेखे की संपरीक्षा रिपोर्ट जिसे धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—

- (क) प्ररूप सं. 10ख, जहां—
 - (I) अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक है; या
 - (II) ऐसे न्यास या संस्था ने पुववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है ; या
 - (III) ऐसे न्यास या संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत के बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है ;
- (ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख।

स्पष्टीकरण.- खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए "विदेशी अभिदाय" पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है।'।

4. मूल नियम के प्ररूप सं. 10ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

'प्ररूप सं. 10ख'

[नियम 16गग और 17ख देखिएं]

ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट।

<u> </u>	V/3
*मैने/हमने [ऐसी	निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा
लेखा या लाभ त	तारीखको तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय का था हानि लेखा की जांच की हैं जो ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक ाल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप है ।
	सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के । के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
निधि या संस्था	ग्न में, लेखाओं की समुचित बहियां उपाबंध की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित ऐसी न या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लिय में रखी गई है :
-	य में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपाबंध में दी निम्नलिखित संप्रेक्षणों या अर्हताओं के अधीन सत्य और सही हैं—
(क)	
(ख)	
(ग)	
* मेरी/हमारी रा	य में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखाओं में
निम्नलिखित के	संबंध में सत्य और उचित अवलोकन दिए गए है—
(i)	तुलन-पत्र की दशा में, तारीखको ऊपर नामित निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की स्थिति ; और
(ii)	(ii) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा मेंको निम्नलिखित संप्रेक्षणों/अर्हताओं के अधीन समाप्त होने वाले लेखा वर्ष की आय और उपयोग या लाभ या हानि- (क) (ख) (ग)
विहित विशिष्टि स्थान: तारीख:	यां इसके साथ संलग्न हैं ।

हस्ताक्षरित अकाउंटेंट † नाम सदस्यता संख्या पता

टिप्पण:

- 1. *जो लागू न हो उसे काट दे।
- 2. †यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी।
- 3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी भी मामले का नकारात्मक या अर्हता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाऐंगे।

					उ	पाबंध								
					विशिष्टिः	यों का विवरण								
	1.	संपरीक्षिती क	ा पेन				ए बी सी	ी डी	र्फ	1	2	3	4	एफ
	2.	संपरीक्षिती क	ा नाम											
ब्यौरे	3.	निर्धारण वर्ष												
रेक ह	4.	पूर्व वर्ष					दि दि म म	वव	व व					
आधारिक							से दिदिम म	वव	व व	1				
	5.	संपरीक्षिती व	ज रजिस्ट्रीकृत प	ता			<u> </u>							
	6.	अन्य पते, यवि	लागू हो				< निर्देश टिप्पण*>	,						
क	7.	संपरीक्षिती क	ा प्रकार				न्या 🗓 सोस स इटी	т □	कंपन	î	🔲 अन	य □]	
विधिक	8.	क्या संपरीक्षि	ती किसी लिखत	त के अधीन स्थापित	किया गया है?		हां/नहीं							
रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे	9.	(सभी रजिस् जहां संपरीक्षि आवश्यकताः धारा रजिस्ट्रीकृत/अ रजिस्ट्रीकृत रूप से अनुम गया है (निर्देश टिप्पण	ति करण/अनंतिम ती ने अनंतिमः गहीं हैं) जिसके नंतिम रूप या अनुमोदित/अ ोदित/अधिसूचित	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोद रजिस्ट्रीकरण/अनुमोद अधीन रजिस्ट्रीक से रजिस्ट्रीक अनंतिम अनुमोदन किया अनुमोदन (दिदि/मार्		अधिसूचना के व करण/अनुमोदन रजिस्ट्रीक या धिसूचना रजिस्ट्रीक इं (यूआरएन हो	ब्यौरे, जो पूर्ववर्ष के कराया है, वहां अ जरण/अनुमोदन/अ /विशिष्ट	रजिस रजिस रजिस अनुम अनुम वाला जारी प्राधि	विधिम् रजिस्ट्री ट्रीकरण ट्रीकरण देवन/अक् देवन प्र या अ करन	गन्य है, करण/ ³ /अनंति · गंतिम द्दान क	प्रदान म व्या र या र रने अ ना अ ला प्र	किए ज त के ब्य जिस्ट्रीव जिस्ट्रीव गनुमोदन भावी ह दिदि/म	तारीख तारीख करण/अ करण ग/अर्ना ग/अधि हुआ/हुः	ब जिससे अनंतिम या तेम सूचना
		(1)		(2)					(4) (5) यासी(न्यासियों)/सोसाइटी के सदस्यों/शासी परिषद् के					
	10.		क(कों)/पांच प्रति नातेदारी < निर्देश		भ्रती क सभी कर्ता(अ धारण करने वाले शेयर विशिष्ट पहचान संख्या	धारकों/आफिस आईडी कोड	बियरर(यों) के ब्यौ	रे क्या	संपरीक्ष ारी में	ाका पृ	र्व वर्ष	सदस्य केदौर नहुआ	ान है	ा परिषद् क यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट
			टिप्पण #>			< निर्देश टिप्पण##>								करें
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(8)
		(ख) उस दशा	। में यदि व्यक्तिय	। ों में कोई (पंक्ति 10	। (क) में यथा उल्लिखित	। ा) व्यष्टि नहीं है	 १ तब प्राकृतिक व्यवि	। भेतयों ज	ो पूर्व व	र्ष के दं	रान वि	म्सी सम	 ाय ऐसे	व्यक्तियों के
प्रबंधन	हिताधिकारी स्वामी (5% से अधिक) है के निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें													
•		क्र.सं.					स्वामित्व का प्रतिशत संपरीक्षा के परिवर्तन				यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें			
							निहित है				है	हां/नहीं	:	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)			है (8	हां/नहीं	:	(9)
उद्देश्य	11.	संपरीक्षिती के	उद्देश्य	1	(4)		निहित है (6)	(7)	निर्देश	टिप्पण	है (8	हां/नहीं	:	(9)

		(ii)	यदि हां, कृपय	ा निम्नलिखित सू	चना प्रस्त्	<u>त</u> ुत करें:-												
			(अ) ऐसे	उपांतरण/ अंगीक	रण की त	ारीख (दिदि/मामा/वद	त्रवव)											
			अनुर		ण या उप	ादन, धारा 12 क की र गंतरण की तारीख से गा गया है					हां/	/नहीं						
			(इ) यदि	 हां, 12क की उप	धारा (1)) के खंड (कग) के उपख	वंड (v) के उ	प्रधीन व	रजिस्ट्रीकरण [े]	के लिए आवे	दन के स	—— गंबंध गे	—— में निम्	—— नलिखि	—— त ब्यौरे	- प्रदान	करें	
			新 .			आवेदन की तारीख		आवेत	ह्न के अनु न्ट्रीकरण की प्र	सरण में	ऐसे आ	विदन ोकरण	के आध		t t		स्ट्रीकर	ण का
								् प्रदान गया/	त है/रजिस्ट्री ा किया रजिस्ट्रीकरण गया)		(दिदि	/मामा	/ववव	ৰ)				
	13.	(i)		ती को अनंतिम र ान प्रारंभ हो चुवे		रण या अनंतिम अनुमे	गेदन प्रदान	किया	गया है, क्या	क्रियाकला	प हां/	/नहीं						
		(ii)	यदि 13(i) का	उत्तर हां में है, त	नो क्रियाव	ज्लापों के आरंभ की ता	ारीख				ſ	दे टि	रे मा	मा	व व	व	व	
। प्रारंभ		(iii)	रजिस्ट्रीकरण		गा धारा <i>'</i>	गरा 12क की उपधार 10 के खंड (23ग) के प					_	/नहीं						
क्रियाकलापों का प्रारंभ		(iv)			खंड (iii)	ै तो धारा 12क की उ के अधीन अनुमोदन के	लिए आवे	इन के र	वंध में निम्न	लिखित ब्यौ	रे प्रदान	करें						'0 के
क्रिया			क्र.सं.		आवेदन	ा की तारीख			अनुसरण में की प्रास्थिति	ऐसे आवे रजिस्ट्रीब तारीख					े रजि ारएन	गेस्ट्रीक	रण	का
							(लंबित प्रदान गया/रजि किया ग	जेस्ट्रीक	रजिस्ट्रीकरण किया रण रद्द	(दिदि/म	गमा/वव	वव)						
inc	14.	(i)				गरीक्षिती द्वारा धारा ′ रक्षित किए जाते हैं	 17कक के अ	ाधीन य	ाथा विहित प्र	रूप और	हां/	'नहीं						
अ जाते		(ii)	लेखा बहियों ३	गौर अन्य दस्तावेज	नों के निम	नलिखित ब्यौरे प्रदान	करें											
स्थान के ब्यौरे जहां लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखे जाते		新. 莊	लेखा बहियों की प्रकृति <टिप्पण \$\$ देखें>	द्वारा अ किया गया है (हां/नहीं)	रीक्षिती नुरक्षित	क्या कंप्यूटर सिस्टम में अनुरक्षित हैं, (हां/नहीं)	क्या रजिस्ट्रीव कार्यालय अनुरक्षित (हां नहीं	ा में तहै	क्या रजिस्ट्रें (हां नहीं) ऐसे स्थान का पता	प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर लेखा रखने के निर्णय की तारीख	निर्धाः अधिव सूचित तारीख 17कः नियम परंतुव लेखा स्थान अनुर्रा जाती	रण गारी जा कर ब कि क के प (3 क के बहिय	को ने की नियम उप- अधीन अधीन	संप (ह ो ो न - - क न न ते र	ग्ग लेग् गरीक्षण i/नहीं)	किया		का
	(1)		(2)	(3)	· AA -	(4) ोजना/संस्था में, पूर्त उ	(5)		(6)	(7)	(8)			(9)		<u> </u>		
सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति	15.	जहा, र (क)	क्या संपरीवि		्से क्रिया	कलाप किए जा है जो							अन्य हां/नर्ह		ক। ওপ	ात ह,	-	
उपयो		(ख)	यदि हाँ, तो	कुल प्राप्तियों की	तुलना में	ऐसी क्रियाकलापों से	प्राप्तियों का	प्रतिश	त				%					
सार्वजनिक		(ग)				ो प्रकृति में ऐसे क्रिय ार्यान्वयन के दौरान वि		ाम सार	र्त्रजनिक उपय	ोगिता के वि	केसी अन	य	हां/नई	ĵi .				
सामान्य		(ঘ)			-	में निर्दिष्ट किसी प्रतिष् ई क्रियाकलाप है?	फल के लिए	_ _ ए किर्स	—– व्यापार, वा	—- णिज्य या क	 गरबार	के ह	हां/नई	,ों 				

		(ङ)	र्या	दे हाँ, तो कुल	प्राप्तियों की तु ^{त्}	 तना में ऐसे क्रिया	कलाप से प्राप्तियों व	का प्रतिशत			%					
		(च)			करने की ऐसे म में की जाती		गन्य लोकोपयोगी [†]	किसी अन्य वस्तु	की ऐसी उन्नति	ो के वास्तविक	हां/नहीं					
	16.	यदि 1					बंध में ऐसे क्रियाक	——————— लापों से कुल वा	र्षिक प्राप्तियां							
		क्र.सं	· .	परियोजना/संस	था का नाम		15क और 15घ में	निर्दिष्ट क्रियाकल	गापों से कुल वा	र्षिक प्राप्तियों की	रकम (रु. में)					
		कुल														
		(i)	क्याः	संपरीक्षिती के	पास धारा 11	की उप-धारा (4)	में निर्दिष्ट कोई क	गरबार उपक्रम है	ţ		हां/नहीं					
			यदि	हाँ, तो कारबा	र उपक्रम के नि	म्नलिखित विवरण	ा प्रदान करें:									
ь		(ii)	(क)	कारबार उ	पक्रम की प्रकृति	Τ										
कारबार उपक्रम	47	(11)	(ख)	कारबार के	ोड -											
रबार	17.		(ग)	क्या व्यापा	र उपक्रम के लि	ाए खाते की अलग	r-अलग लेखों का <u>अ</u>	ानुरक्षण किया ग	या है <टिप्पण	देखें ^>	हां/नहीं					
ᆔ			(ঘ)		लिए कारबार मेलित नहीं वि		से धारा 11 की उ	प-धारा (4) के अ	ानुसार संपरी धि	नती की कुल	रकम रुपये में					
			(ङ)		लिए कारबार मेलित किया ज	उपक्रम से आय जि नाना है	नती की कुल	रकम रुपये में								
8	18.	(i)				ते, धारा 10 के स सि और अभिलाभ	धारा (4क) में	हां/नहीं								
के लिए व्यापार आकस्मिक						लिखित विवरण दे			हां/नहीं							
गार आ			(क)	कारबार की												
ए व्या		(ii)	(ख)	कारबार क	 ोड											
के लि			(ग)	क्या कारब	 ार के लिए पृथ	———— क लेखा बहियां र	खी गई हैं<टिप्पण [े]	 देखें^>			हां/नहीं					
वस्तुओं			(घ)				 प्ति के आनुषंगिक है				हां/नहीं					
10			<u>(ङ)</u>	पूर्व वर्ष के	दौरान कारबा	र से लाभ और अ	भेलाभ				रकम रुपये में					
	19.	धारा '	194ग	 या 194ञ या	194ज या 194	1थ में निर्दिष्ट संप	 ारीक्षिती की प्राप्तिय	 यों का विवरण जि	जेस पर स्रोत प	र कर काटा गया	 ⊺ है:					
		क्र.सं.	कटौ		रकम	स्रोत पर काटे गए कर की	धारा जिसके अंतर्गत स्रोत	आ	ाय/प्राप्ति की श्रेग	गी	स्तंभ 7 या 8 में	क्या क्रियाकलाप				
रसीदों पर टीडीएस			कर्ता नाम	का तीक र्ता का टैन	जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है (रुपये में)	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (रु।)	आय/प्राप्ति जो संपरीक्षिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुपंगिक कारबार से है। (रुपये में)	आय/प्राप्तियों के लिए पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं, जिनका उल्लेख स्तंीा 10 में किया गया है (हां नहीं)								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
	20.				-	•)) के बाइसवें परंतु		•			हां/नही				
	21.	क्या सं	परीक्षि	ती ने पूर्व वर्ष	के लिए प्ररूप	सं. 10खघ फाईल	किया है <यदि नह	हीं तो पंक्ति 23 प	ार जाएं >			हां/नही				
	22.	पूर्व वा	र्घके लि	ए संपरीक्षिती	द्वारा प्रस्तुत प्र	रूप सं. 10खघ मे	iं रिपोर्ट किए गए र	संदान का कुल ये	ोग			(रकम रुपये में)				
भेदाय		संदान	प्ररूपः	पं. 10खघ में ि	रेपोर्ट नहीं किर	ग गया है / प्ररूप	सं. 10खघ भरने व	ी आवश्यकता न	ाहीं है							
स्वैच्छिक अभिदाय	23.	(i)		क्षिती की निर्ा ोदित है	धे या न्यास या	संस्था द्वारा प्राप्त	संदान जो कि धार	रा 80 छ की उप	-धारा (2) के ख	iंड (ख) के अधीग	रकम रुपये में					
स्बै	20.	(ii)	80 ह				संदान जो धारा 8 की उप-धारा (2)				रकम रुपये में					

				_					
				30छ की उप-धारा (2) के खंड के उप-खंड (iv) के	(क)		र से अधिक न		रकम रुपये में
		(iii)	या संस्	अनुमोदित लेखापरीलेखापरीक्षिति की निधि या न्यास था द्वारा प्राप्त संदान और जो धारा 80छ की उप-धारा अधीन पात्र नहीं हैं	(ख)	निधि या विश्वविद्याल किसी अस्पत	संस्था या न्य य या अन्य १ गल या अन्य	ांस्था से या किसी ग्रास या किसी गैक्षिक संस्थाओं या चिकित्सा संस्था से के लिए अर्हित नहीं	रकम रुपये में
					(ग)	अन्य <प्रकृति	ने निर्दिष्ट करें>	>	रकम रुपये में
					(ঘ)	कुल (क)+(ख	ा)+(ग)		रकम रुपये में
		(iv)		जो प्ररूप संख्या 10खघ के अधीन दाता की पहचान र्क क्या जा सका	ो अनुपलब	अधताकेकारण	प्ररूप संख्य	ा 10खघ में रिपोर्ट	रकम रुपये में
		(v)	संदान	वस्तु के रूप में प्राप्त हुआ				-	रकम रुपये में
			अनुभा	ग 115खखग में निर्दिष्ट अनाम संदान					रकम रुपये में
			(क)	धारा 115खखग की उप-धारा (1) के खंड (i) के लागू अनाम संदान की रकम	होने के का		खखग के अर्ध	ोन अकराधेय	रकम रुपये में
		(vi)	(ख)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (क) के लागृ अनाम संदान की रकम	धीन अकराधेय	रकम रुपये में			
			(ग)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (ख) के लाग् अनाम संदान की रकम	- धीन अकराधेय	रकम रुपये में			
			(ঘ)	धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय अ		रकम रुपये में			
			(ङ)	रकम रुपये में					रकम रुपये में
		(vii)	कोई अ	न्य स्वैच्छिक अभिदाय जो प्ररूप संख्या 10खघ का भाग	नहीं है		रकम रुपये	में 	रकम रुपये में
		(viii)	प्ररूप र दी गई	संख्या में 10खघ [23(i)+23(ii)+23(iii)(घ) +23(iv)+2 है	23(v)+23	}(vi)(ङ)+23(∖	ˈii)] कुल संदा	न की सूचना नहीं	रकम रुपये में
	24.	पूर्व व	र्ष के दौर	ान संपरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [22+	·23(viii)]				रकम रुपये में
	25.	24 में	बताए ग	ए कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय					रकम रुपये में < अनुसूची चग भरें >
•		समग्र	का हिस्स	ा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 24 में सम्मिलित ह	हैं)				रकम रुपये में
	26.	(अ)	संदा	ा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिर न का प्रतिनिधित्व करने वाला समग्र, धारा 10 के खंड उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3क के अधीन छूट के लिए र्आ	(23ग) के				रकम रुपये में < अनुसूची समग्र भरें>
		(आ)		ा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) या धारा 10 (23ग) के लिए अर्हित है और धारा की उप-धारा (5) के अधीन f		-			रकम रुपये में < नुसूची समग्र भरें>
	27.			ान संपरीक्षिती द्वारा लागू किए जाने के लिए अपेक्षित स्वै ग़ी)+26ए+ 26बी}]		रकम रुपये में			
आय	28.	या न्य	ास या वि	र्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न स्वैच्छिक क्सी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या किसी अग केए गए अभिदाय से भिन्न)					रकम रुपये में
लागू होने वाली आय	29.	भारत	के बाहर	उपयोजित आय, जो धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड	(ग) के अध	- ग्रीन अर्हित है			रकम रुपये में < इंट ऐप अनुसूची भरें>
जान	30.	पूर्व व	र्ष के दौर	ान संपरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजित किए जाने के वि	— लेए अपेक्षि	 ।त आय [27+2	8-29]		रकम रुपये में
म	31.	आय व	ना उपयो	जन (निरर्हित और क्रम संख्या 37 के अधीन रिपोर्ट किए		- न को छोड़कर)			
आय का आवेदन		(i)	पूर्व वर्ष रकम	र्ग के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपर	इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (रुपये में)	रकम रुपये में			

	(क)	पूर्व वर्ष	के दौरान किसी अ	न्य व्यक्ति को अभि	दाय या संदान						रकम रुपये में		
	` '	(क) में	उपबंधित उपयोजन	ा से भिन्न उद्देश्य व	ार उपयोजन								
		(I)	धर्म								रकम रुपये में		
		(II)	निर्धन को सहाय	ता							रकम रुपये में .		
		(III)	शिक्षा								रकम रुपये में		
		(IV)	चिकित्सा सहाय	ाता							रकम रुपये में		
		(V)	योग								रकम रुपये में		
	(ख)	(VI)	पर्यावरण का संर सहित)	क्षण (वाटरशेड, वन	न और वन्य जीवन	न					रकम रुपये में .		
		(VII)	कलात्मक या ऐि वस्तुओं का संरक्ष	तेहासिक रुचि के स्य ण	मारकों या स्थानों	या					रकम रुपये में		
		(VIII)	मान्य सार्वजनिक	उपयोगिता के कि	सी अन्य वस्तु की	उन्नति					रकम रुपये में		
		(IX)	आवेदन जो विशे नहीं किया जा स	ष रूप से (I) से (VI कता है	III) के अधीन वर्ग	कृित					रकम रुपये में		
		(X)	कुल								रकम रुपये में		
	(ग)	कुल उप	ायोजन [(क) + (ख))(X)]							रकम रुपये में		
(ii)	(i) (क)) और (i)	(ख) में से उपयोजन	न का विवरण जिस [्]	के परिणामस्वरूप	किसी व्य	क्ति व	को 50 लाख रुपय <u>े</u>	से अधिक	का सं	दाय हुआ।		
	क्र.सं.		उस व्यक्ति का नाम जिसे रकम संदत्त या			टीडीए	स						
			प्रत्यय		(रुपये)			T				1	
						+ इलेक्ट्रॉ मोड	निक	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न	कुल		ा कोई टीडीएस टा गया है	धारा जिसके अधीन टीडीएस कार	
						(रु.)		(₹.)		हां/	नहीं	गया है	
(iii)	रकम,	जो वास्त	व में पूर्व वर्ष के दौ	रान संदत्त नहीं की	गई थी [यदि (i)((सी) में सर्वि	मेमलि	त है]			रकम रुपये में		
(iv)				की गई रकम रकम जन के रूप में दावा			के दौग	रान उद्भूत हुई थी	लिकिन उ	ससे	रकम रुपये में		
(v)	उपयो	जन के रूप	ग में स्वीकृत की जा	ने वाली कुल रकम	[31(i)(ग)- 31(i	ii) +31(iv	/)]				रकम रुपये में		
	राजस्व	ा या पूंजी	में 31 (v) में आवे	दन का विभाजन							रकम रुपये में		
(vi)	(क)	राजस्व									रकम रुपये में		
	(ख)	पूंजी									रकम रुपये में		
(vii)				स जमा की गई रका नि के रूप में दावा न			र्षके	दौरान उपयोजित	किया गय	ा था	रकम रुपये में <अ भरें>	नुसूची समग्र	
(viii)	पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुनर्संदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावाकृत नहीं किया गया था।										रकम रुपये में<अ	 नुसूची ठख भरेंः	
उपयो	जन से अनानुज्ञात की जाने वाली रकम धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (iक) के साथ पठित धारा 11 की										` ``	0.00	
(ix)				वें परंतुक या धारा ग्रीन अनानुज्ञात योग		त उप-खंड	(iक) ^ह	क साथ पठित धार	ा 11 की र	उप-	रकम रुपये में <अ भरें>	नुसूची टीडीएस	
(x)			ग) के तेरहवें परंतुक करण 3 के अधीन व	त्र या धारा 40क की अनानुज्ञात रकम ,	- उप-धारा (3) य	ा (3क) के	साथ	पठित धारा 11 र्व	ने जे उप-धार	T	रकम रुपये में . <अनुसूची 40क(3 40क(3क) भरें>)/अनुसूची	
(xi)	न्याः	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या रकम रुपये में न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को समग्र के लिए किया गया संदान											
	अधि	7											

			धार	। । 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को जिनका उद्देश्य समान नहीं है, किया ग	या संदान	
			-	ि । या । य न । नापण्ट ।कता स्थात या तत्या का ।काका उद्दर्य तनाम महा ह, ।कया ग 		रकम रुपये में
		(xiii)	न्यास	ानयम को घोरो 10 के खेड (25ग) के उप-खेड (iv), (v), (vi) यो (viक) में निदिष्ट किसी न या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञा i 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति को किया गया संदान		
		(xiv)		त के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक वे किया गया है	अधीन अनुमोदन प्राप्त	रकम रुपये में
		(xv)		त के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक वे ा गया है	उथधीन अनुमोदन प्राप्त	रकम रुपये में
		(xvi)	संपर्र	किती के उद्देश्य से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया		रकम रुपये में
		(xvii)	कोई	अन्य अनानुज्ञात (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		रकम रुपये में
		(xviii)	कुल	अनानुज्ञात उपयोजन [{31(v)+31(vii)+31(viii) - {31(ix) से 31(xvii) }]		रकम रुपये में
		(xix)	धार	ा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजि	त मानी गई रकम	रकम रुपये में . < अनुसूची घझ भरें >
		(xx)		ा 10 के खंड (23ग) या धारा 11 की उप-धारा (2) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के प त आय	रंतुकों के अनुसार	रकम रुपये में <अनुसूची कग भरें >
		(xxi)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	या धार्मिक उद्देश्यों या न्यास या संस्था की कथित उद्देश्यों के लिए संचित की गई या अल कि वह आय के 15% से अधिक नहीं है	ा रखी गई आय, जहां	रकम रुपये में
	32.	कराधेय	आय [30- {31(xviii) to31(xxi)}]		रकम रुपये में
	33.	धारा 1	15खखः	झ के अधीन कराधेय आय		
ाई		(क)		परीक्षिती के पास धारा 11 की उप-धारा (1ख) में निर्दिष्ट कोई मानित आय और ऐसी गई आय की रकम है जो धारा 115 खखझ के अधीन 30% की दर से कर के लिए प्रभार्य	हां/नहीं यदि हाँ तो अनुसूची घझ भरें	रकम रुपये में
धारा 115बीबीआई		(ख)	(3) के	परीक्षिती के पास धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक या धारा 11 की उप-धारा स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट कोई भी मानित आय है जो धारा 115बीबीआई के अधीन कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी मानी गई रकम आय?	हां/नहीं यदि हां, तो अनुसूची कग. भरें	रकम रुपये में
		-	(i)	क्या संचित आय का उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है या उसके उपयोजन के लिए संचित नहीं रह गई है या आवेदन के लिए अलग नहीं रह गई है	रकम रुपये में	रकम रुपये में
			(ii)	क्या ऐसी संचित आय धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी भी रूप या मोड में निवेशित या जमा रहना बंद हो जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
			(iii)	क्या इस तरह की संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे जमा किया जाता है या धारा 10 के खंड (23 ग) के तीसरे उपबंध के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा जाता है	हां /नहीं	रकम रुपये में
			(iv)	क्या ऐसी संचित आय धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट अन्य चिकित्सा संस्थान को जमा या भुगतान की जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ग)	(i)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जो धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाने वाली आय है जो धारा 115खखझ के अधीन 30% कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
			(ii)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के अधीन या धारा 13 के उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाना है जो धारा 115खखझ के अधीन 30% कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ঘ)	आय व	ोखापरीक्षिती की कोई आय पन्द्रह प्रतिशत से अधिक संचित या अलग रखी गई है। उस का जहां अधिनियम के किसी विशिष्ट उपबंध के अधीन इस तरह के संचय की अनुमति ; और जो धारा 115खखझ के अधीन 30% कर के लिए प्रभार्य है और ऐसी आय की	हां /नहीं	रकम रुपये में

		(ङ)		गपरीक्षिती ने भारत के ग) के अधीन कुल आय		हें आवेदन किया है जिसे ध ति नहीं किया गया है	गरा 11 की उपधार	त (1)	हां /नहीं <यदि हाँ ते इंट ऐप भरें		रकम	रुपये में			
	34.	बेनामी	दान जो १	धारा 115खखग के अर्ध	ीन @ 30º	% कर के लिए प्रभार्य है					रकम	रुपये में			
		अन्य ३	ग्रय								रकम	रुपये में			
		(ক)	क्या लेख	गपरीक्षिती की धारा 1	2(2) के अ	धीन प्रभार्य कोई आय है	और ऐसी आय की	रकम		हां /नहीं	रकम	रुपये में			
अन्य आय	35.	(ख)) या खंड (ग) या खंड		ह साथ पठित धारा 11 र्व ल्लंघन करने की दशा में ध						रपये में सूची कॉ	र्पस भरें	>	
क		(ग)	खंड (क)		(ग)या ख	न साथ पठित धारा 10 के iड (घ) का उल्लंघन कर r						रपये में सूची कॉ	र्पस भरें	>	
		(ঘ)	धारा 11	। की उपधारा (4) के अ	धीन प्रभार	र्ग आय					रकम	रुपये में			
		धारा 1	l1 की उप	धारा (1क) के अधीन ह	स्तांतरित प	पूंजीगत आस्ति के ब्यौरे									
F		(1)			को स्थानांत	ह लिए न्यास के अधीन पू रित किया जाता है और				हां /नहीं	रका	म रुपये में	†		
पूंजीगत आस्ति	36.	(2)			डीम्ड आवेदन का दावा धारा 11 की उपधारा (1क) के खंड (क) के अनुसार किया गया है ऐसे डीम्ड आवेदन की रकम? रूपे डीम्ड आवेदन की रकम? रूपीगत आस्ति केवल धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन रखी गई संपत्ति है							म रुपये में	†		
<u>ज्यः</u>		(3)		को हस्तांतरित की ज	ाती है और	सकल प्रतिफल जिसके वि	त्रेए इसे स्थानांतरित	त किया	जाता है?	हां /नहीं		म रुपये में			
		(4)		और ऐसे डीम्ड आवेद	न की रकम		के खंड (ख) के अनु	सार कि	या गया है	हां /नहीं	रका	म रुपये में	† 		
			र्व के दौरान	। निम्नलिखित स्रोतों से	आय का उ	पयोजन									
		(क)) के खंड (23ग) के तीस I की उपधारा (2) के अ		के अधीन या किसी भी पि त आय	lछले वर्ष के दौरा न	+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुर भरें>		
का उपयोजन	37.	(ख)		l की उपधारा (1) के स् केसी भी पूर्ववर्ती वर्ष मे		के खंड (2) के अधीन वि ो जाने वाली आय	क्सी भी पूर्व वर्ष के		इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	iड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुस् भरें>		day.
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयो		(ग)	पहले के	पिछले वर्षों की आय 1	5% तक ज	मा या अलग रखी गई		+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .)		
विभिन्न स		(ঘ)	कोर्पस	र्पस + इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु.)						ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .) <अनुस् भरें>		 स
		(ङ)	उधार निधि + इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)						से वि	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न ((रु .)			कुल रकम (रु .) <अनुसूची एलबी भरें>		
		(च)	कोई अन्	य (कृपया विनिर्दिष्ट करे	t)			+ · (₹	इलेक्ट्रॉनिक में ः.)	ाड इलेब से पि (रु		मोड	कुल र (रु .)		ì
	38.	37 में	से किसी ए	क व्यक्ति को पूर्व वर्ष वे	ь दौरान 50	0 लाख रुपये से अधिक स	दाय या क्रेडिट के प	्। ।रिणाम	स्वरुप आवेदन	<u>।</u> के ब्यौरे ।			11/		
		क्र.सं		व्यक्ति का नाम	पैन	आवेदन की रकम			न का तरीका				टीर्ड	ोएस	
		(रु .) + इलेक्ट्रॉनिक मोड से इलेक्ट्रॉनिक भिन्न								कुल		क्या के टीडीए		धारा जिसके	टी डी

								मोड			काटा ^र है (हां /न	_	अधीन टीडी एस काटा गया है	ए स की र क म
		(i)		क्या धार	ा 10 के खंड	(23ग) के		। ा धारा 13 की उप	पधारा (10) के उपबंध ल	ागू हैं ?		हां /नः	 हीं	
					में हां है, ते गरण विनिवि		के खंड (23ग) के 22वें प	।रंतुक के उपबंध य	ग धारा 13 की उपधारा	(10) के उपबंध ला	ागू			
				(क)	धारा 2 के	खंड (15)	के परंतुक के उपबंध लाग	गू है				हां /नः	ीं	
		(ii)		(ख)			ग) के दसवें परंतुक के खं [·] उल्लंघन किया गया है	ड (क) में विनिर्दि	ष्ट शर्त या धारा 12क की	ो उपधारा (1) के ख	बंड	हां /नः	हीं 	
				(ग)			ग) के दसवें परंतुक के खं ा उल्लंघन किया गया है	ड (ख) में विनिर्दि	ष्ट शर्त या धारा 12क र्क	ो उपधारा (1) के ख	बंड	हां /नः	हीं	
				(ঘ)			ग) के बीसवें परंतुक में वि गन किया गया है	वेनिर्दिष्ट शर्त या ध	धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (खक) ^{हे}	के	हां /नः	हीं	
					में हां है , तो संगणना प्रदा		ारा 10 के खंड (23ग) [;]	 के बाइसवें परंतुक	या धारा 13 की उपधान	रा (10) के अधीन	प्रभार्य प्रभार्य			
गरंतुक				(क)	पूर्व वर्ष के	लिए आय						रकम	रुपये में	
r 22वां ^ए				(ख)	लेखापरीवि	क्षेती के प्रय	ोजनों के लिए भारत में ि	केया गया कुल व्य	य,			रकम में	रुपये	
3म) क					अननुज्ञात	किया जाने	वाला व्यय							
3 (10) और धारा 10 (23ग) का 22वां परंतुक	39				(i)		कलन वर्ष से संबंधित पूर , जिसके लिए आय की ग		समाप्ति पर न्यास या संस् है	था के खाते में जम	ा कोष	रकम	रुपये में	
रधार					(ii)	किसी इ	ऋण या उधार से व्यय					रकम	रुपये में	
(10) औ					(iii)		आस्ति के संबंध में मूल्य के रूप में दावा किया ग		धिग्रहण उसी या किसी	अन्य पूर्व वर्ष में ३	गय के	रकमः	रुपये में	
13		(iii)			(iv)	किसी व	त्रको अभिदाय या व	ान के रूप में व्यय	П				रुपये में	
					(v)	पूंजीगत	ा व्यय					रकम	रुपये में	
				(ग)	(vi)				[.] धारा 40 के खंड (क) ^ह पष्टीकरण के अधीन अन्		त साथ	<अनन् टीडीए	रुपये में इज्ञात स वी भरें >	
					(vii)				धारा 40क की उप-धारा रंतुक के स्पष्टीकरण के अ			< अनु 40क(ची/ 4	_{हपये} में सूची 3)अनुसू 0क(3क) गी भरें>	
					(viii)	कोई अ	न्य अननुज्ञात					रकम	रुपये में	
					(ix)	अननुज्ञ	ात किया जाने वाला कुल	ा व्यय (i)+(ii)+(ii	i)+(iv)+(v)+(vi)+(vii))	+(viii))		रकम	रुपये में	
				(ঘ)	धारा 10 (ix)]	के खंड 23	 3ग के 22वें परंतुक या ध	्रारा 13 की उपध्	धारा 10 के अधीन कर व	की प्रभार्य आय [क	-ख+ग	रकम [ः] में	<u> </u>	
व्यय		यदि ध							पया निम्नलिखित ब्यौरे	प्रदान करें				
धार्मिक कायोँ के लिए उपगत व्य	40.	(क)										यदि हां, तो रकम विनिर्दिष्ट करें रुपये में।		
कायों के		(ख)	- "	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती की कुल आय								रकम रुपये में		
धार्मिकः		(ग)	कुल आय	ा में धार्मि क	प्रकृति के व्र	यय का प्रति	शत [(क)/(ख) में रकम]					%		

		धारा ′		! विनिर्दिष्ट व्यक्ति* का विवरण				
	41.	धारा ′ व्यक्ति	13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट का कोड देखें ^^>	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति का आधार नंबर, यदि आवंटित किया गया हो	ऐसे व्यक्ति का पता	यदि स्तंभ (1) में कोड 2 चुना गया है तो लेखापरीक्षिती को किए गए अभिदाय की रकम निर्दिष्ट करें
	42.	धारा 1	3(2) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के ब्यौरे					
	(क)		खापरीक्षिती की आय या संपत्ति व ा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार ी		ौरान किसी भी	अवधि के लिए पर्याप्त सुरक्षा या प	र्याप्त ब्याज या दोनों	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-क भरें>
	(ख)		खापरीक्षिती की कोई भूमि, भवन र्याप्त किराया या अन्य मुआवजा f			ग के लिए पिछले वर्ष के दौरान कि ;	सी भी अवधि के	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ख भरें >
में निर्दिष्ट व्यक्ति	(ग)	सेवाओ		ान वेतन, भत्ते या अन <mark>्</mark> यथा के रू		व्यक्ति द्वारा ऐसे लेखापरीक्षिती को ा है और इस प्रकार भुगतान की गई		हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ग भरें >
13 (3) में नि	(ঘ)	क्या ले हैं;	खापरीक्षिती की सेवाएं पूर्व वर्ष वे	ह दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति	को पर्याप्त पारि	श्रिमिक या अन्य मुआवजे के बिना	उपलब्ध कराई गई	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-घ भरें >
	(ङ)		ोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति प । गई है जो पर्याप्त से अधिक है;	पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिदि	ईष्ट व्यक्ति से लेख	बापरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से	। विचार के लिए	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी- ड.1/ड.2 भरें >
	(च)		ोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति व ई है जो पर्याप्त से कम है;	नेखापरीक्षिती द्वारा या उसकी	ओर से पूर्व वर्ष	के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति व	ने प्रतिफल के लिए	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी- च1/च2 भरें >
	(ন্ত্ৰ)	क्या ले	खापरीक्षिती की कोई आय या संप	ात्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी वि	निर्दिष्ट व्यक्ति ^ह	के पक्ष में डायवर्ट की गई है		हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-छ भरें >
	(ज)	लेखाप किसी	ांबंध में जिसमें	हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ज भरें >				
	43.	निर्दिष्ट	र उल्लंघन					
	10.	क्य					हां /नहीं	रकम रुपये में
		(क)	लेखापरीक्षिती की आय , न्यास			· .	। हां /नहीं	रकम रुपये में
निर्दिष्ट उल्लंघन		(ख)	क्या लेखापरीक्षिती के पास व्यव	साय के लाभ और लाभ से आय ाती द्वारा व्यवसाय के संबंध में	ा है जो उसके उ	•	हां /नहीं	रकम रुपये में
निर्दिष्ट		(ग)				जी धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक ;, जो कि लाभ के लिए सुनिश्चित	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ঘ)	जाति के लाभ के लिए अपनी अ	य का कोई हिस्सा लगाया है।		केसी विशेष धार्मिक समुदाय या	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ङ)	लेखापरीक्षिती द्वारा की जा रह नहीं की जा रही है जिनके अधी			प्तभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार	हां /नहीं	रकम रुपये में

		क्या लेखापरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, और आदेश, निर्देश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यह मानते हुए कि ऐसा गैर-अनुपालन हुआ है, या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त की।	हां /नहीं	< विधि अनुसूची भरें>
•	44.	क्या किसी आस्ति के संबंध में धारा 11 की उपधारा (6) या धारा 10 के खंड 23ग के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी मूल्यह्नास या अन्यथा का दावा किया गया है, जिसके अर्जन का दावा आय के आवेदन के रुप में किया गया है और ऐसे मूल्यह्नास की रकम	हां /नहीं	यदि हाँ तो रकम का विनिर्दिष्ट करें
•	45.	धारा 10 के खंड (23ग) के उन्नीसवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (7) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें कि क्या न्यास या संस्थान ने पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के अधीन कटौती का दावा किया है [खंड (1), खंड (23ग) और उसके खंड 46 से भिन्न) और ऐसे दावे की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
	46.	क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या कोई विनिर्दिष्ट राशि ली या स्वीकार की है?	हां /नहीं	रकम रुपये में (यदि हां, तो अनुसूची 269धध भरें)
	47.	क्या लेखापरीक्षिती ने एक दिन में एक व्यक्ति से धारा 269धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम प्राप्त की है; या एकल संव्यवहार के संबंध में; या पूर्व वर्ष के दौरान एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में?	हां /नहीं	रकम रुपये में (यदि हां, तो अनुसूची 269धन भरें)
,	48.	क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम रकम पुनर्संदत्त की है	हां /नहीं	रकम रुपये में (यदि हां, तो अनुसूची 269 न भरें)
,	49.	क्या लेखापरीक्षिती से अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के उपबंधों के अनुसार कोई कर संग्रहण या कटौती अपेक्षित है?	हां /नहीं	(यदि हां, तो टीडीएस/टीसीएस अनुसूची /टीडीएस/टीसीएस का विवरण /टीडीएस/टीसीएस पर यथालागू ब्याज

प्ररुप 10 ख (अनुदेश	ा देखें) यथाला ग्	रू अनुसूचियां भ र	ी जाएं											
	अनुस्	्ची कॉर्पस: कॉर्प	स के ब्यौरे											
कोष दान का प्रकार	पूर्व वर्ष के आरंभ में अतिशेष	पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त/मानि त कार्पस	पूर्व वर्ष के दौरान लागू (3)	कार्पस में पुन: जमा या निक्षेपित	कार्पस में पुन:जमा या निक्षेप	वित्तीय वर्ष जिसमें (4)	अंतिम अतिशेष (7) [(1+2+	धारा 11(5) में निर्दिष्ट मोड में	पूर्व निर्धारण वर्ष में कर	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के	यदि कार्पस वह निम्नलि	ंदान (i) खित शत) प्रकार क हैं को पूरा	ा है तो क्या करता है
	(पूर्व वर्ष के आरंभ तक कार्पस लागू नहीं) (1)	(2)		रकम (जो पूर्व में आवेदित थी परंतु जिसका दावा नहीं किया गया था यदि ऐसा आवेदन शर्ते पूरी करता हो (4)	की कुल रकम (5)	पहले लागू किया गया था (6)	5)-3]	निक्षेप (8)	लगाई गई रकम (9)	अनुसार धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोड में निक्षेप (10)	कार्पस उस उद्देश्य से मिन्न कार्पस में से उपयोजित रकम जिसके लिए स्वैच्छिक अभिदाय किया गया या।	किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान;किसी व्यक्ति को दान या अभिदाय		धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न प्ररुपो और मोडों में निक्षेप या जमा
(i) 01.04.2020 को या उसके पश्चात् 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करता है											हां /नहीं	हां <i>I</i> नहीं	हां <i>I</i> नहीं	हां /नहीं

(ii) - 01.04.2021 को या उसके पश्चात उपरोक्त (ii) से भिन्न प्राप्ति							
(iii) उपरोक्त(ii) से और (ii) से भिन्न							

अनुसूची एफसी : विदेशी अभिदाय का ब्य	गौरा	
पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्रकृति	पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम (रुपए में)	पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे अभिदाय से कुल आवेदन के व्यौरे राशि रुपए में
(i) समग्र निधि (ii) गैर- समग्र निधि		
योग		

अनुसूची एलबी : त्र	हण और उधार के ब्यौ	रे					
पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल का आरंभिक अतिशेष	पूर्ववर्ष के दौरान उद्देश्यों हेतु आवेदनों के लिए लिया गया ऋण और उधार	पूर्ववर्ष के दौरान न्यास या संस्था की वस्तुओं के लिए किया गया आवेदन		वित्तीय वर्ष, जिसम् पहले से लागू था	में (4)	पूर्ववर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल पुन:संदाय (रुपए में)	31 मार्च को अंत अतिशेष (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)

अनुसूची व	आईएनटी एपीपी :	भारत के बा	हर लागू आय के	ज्यौर <u>े</u>						
क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम, जिसे प्रेषण किया गया है	करदाता पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो	भारत से बाहर प्रेषण की रकम, जो प्ररूप सं. 15गक में प्रस्तुत है (रुपए में)	(4) से अन्यथा भारत के बाहर प्रेषण की रकम (रुपए में)	खैराती या धार्मिक प्रयोजन जिसके लिए आवेदन किया गया है	आवेदन करने वाला देश	क्या अंतरराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें भारत इच्छुक है और इसे संपरीक्षिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाना है?	अगर भारत अनुमोदन वि अनुमोदन संख्या	ा के बाहर आ तेया गया है सामान्य/ विशेष	वेदन के लिए अनुमोदन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अनुसूची डीआ	ई : धारा 11 की उप	-धारा (1) के स्पष्टीकरण	ा 1 के अधीन मा	ने गए आवेदन	और धारा 11 की	उपधारा (1ख) के	अधीन मानी ग	ई आय के ब्यौरे	
वर्ष, जिसमें आय को लागू माना जाता है (वि.व.)	प्ररूप 9क में दी गई तारीख (दिदि/मामा/वव)	स्तंभ 1 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के दौरान लागू मानी गई राशि	आवेदन माने जाने का कारण (क)उस वर्ष के दौरान प्राप्त न की गई आय (ख)कोई अन्य कारण	पहले से दावा किए गए माने गए आवेदन में से, आवेदन करने के लिए आवश्यक रकम	स्तंभ (5) में निर्दिष्ट रकम में से किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में कर लगाई गई रकम (अनुसूची डीए भरें)	दावा किए गए आवेदन में से, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली रकम	पूर्ववर्ष में दावा किए गए गाने गए आवेदन की रकम, वर्तमान वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू	रकम, जिसेलागू नहीं किया जा सकता था और पूर्ववर्तीवर्ष के दौरान धारा 11(1ख) के अधीन आय के रूप में माना गया	माने गए आवेदन की शेष रकम
(1) ड्रापडाउन उपलब्ध कराए	(2)	(3)	(4) ड्रापडाउन उपलब्ध कराए	(5)	(6)	(7) =(5)-(6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)- (7)=(10)
जाएंगे जाएंगे			जाएंगे जाएंगे						

अनुसूची डीए: धारा	अनुसूची डीए: धारा 11 की उप-धारा (1ख) के अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों में संचित आय पर लगाए गए कर का ब्यौरा												
	निर्धारण वर्ष, जिसमें अनुसूची डीआई के स्तंभ (4) में यथा निर्दिष्ट आय पर कर लगाया गया था												
	विद्यमान पूर्ववर्ष से पहले के पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले विगत पांच पूर्ववर्ष												
संचयन वर्ष (वि.व.)	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष								
विद्यमान पूर्ववर्ष से													
प्रारंभ होने वाले													
अंतिम पांच													
पूर्ववर्षों के लिए ड्रापडाउन उपलब्ध													
कराए													
वर्ष - वर्ष													
योग													

अनुस्	्ची एसी : र	संचयन के ब्यौरे														
я. सं.	संचय न का वर्ष (वि. व.)	प्ररूप 10 प्रस्तुत करने की तारीख दिदि/मामा/ वववव	संच यन वर्ष में संच यित रकम	संच यन का प्रयो जन	पूर्वव र्ष के प्रारंभ तक खैरा ता धार्मि क प्रयो के लिए लागू रकम	उपयो जित अतिशे प (3)- (5)	किसी पूर्व निर्धा रण में कर ली एकम (अनु एसीए भरे)	आवे दन के लिए उपल ब्ध अति शेष (6)- (7)	पूर्वव र्ष संचय न से पूर्वव के रा न खैरा क प्रयों के लिए यू रकम	जिस प्रयोज न के लिए इस तरह का मंचय गया, उसके अत्य प्रयोज नों के लिए लाग् रकम (यदि लाग् हो)	धारा 12कख के अधीन रिज स्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) या उपखंड (vi) या (viक) के अधीन अनुमो दित किसी	आवे दन के लिए उपल ब्ध अति शेष रकम (8) – (10) – (11)	(12) में से धारा 11(5) में विनिर्दि ष्ट रीति में विनिधा नित या जमा की गई	(12) में से धारा 11(5) में से अन्यथा विनिर्दि ष्ट रीति में विनिधा नित या जमा की गई रकम (यदि लागू हो)	रकम , जो संच की अव धि के दौ न उप नहीं की गई है (यदि लागू	धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन मानी जाने वाली आय की रकम (यदि लागू हो) (10)+(11)+(1 4)+(15)

										न्यास या संस्था को प्रत्ययि त या संदत्त रकम (यदि लागू हो)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अंतिम सात वित्ती य वर्षों के लिए ड्रापडा उन उपल ब्ध कराए योग															

	· ·	ने <mark>र्घारण वर्ष, जिसमें इस रकम पर कर लगाया गया था</mark> वेद्यमान पूर्ववर्ष से पूर्वत्तर पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्ष का उपलब्ध कराए							
संचयन का वर्ष (वि.व.)	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष				
वर्तमान पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्षों के लिए ड्रापडाउन उपलब्ध कराए वर्ष - वर्ष									

अनुसूर्च	ो एसपी-क: क	या संपरीक्षिती की	आय या संपत्ति क	ा कोई भाग पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्य	क्ति को दिया	गया है, या	दिया जाना ज	गरी है ?	
क्र.सं.	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट व्यक्ति	विवरण		सुरक्षा का	विवरण		ब्याज का विवरण	
	व्यक्ति का	का स्थायी	उधार दी गई	रकम, जिसके लिए आय या संपत्ति	सुरक्षा	सुरक्षा	पर्याप्त	ब्याज की	ब्याज
	नाम	खाता संख्यांक	आय या	पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी अवधि	की	का	सुरक्षा का	वास्तविक दर, जो	की
			संपत्ति की	के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दी	प्रकृति	मूल्य	मूल्य	भारित की जाती	पर्याप्त
			प्रकृति	गई है या उधार दिया जाना जारी है				है	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
, ,	` '		, ,		, ,	, ,			, ,

अनुसूर्च	अनुसूची एसपी-ख : संपरीक्षिती की भूमि, भवन या अन्य संपत्ति का विवरण, जो पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए पूर्ववर्ष के दौरान उपलब्ध कराया													
गया है	या जारी है :													
क्र.सं.	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	आस्ति का वि	वरण	निर्दिष्ट व्यक्ति के उप	गस्ति पूर्ववर्ष के दौरान योग के लिए उपलब्ध	पूर्ववर्ष के विवरण	किराए का	पूर्ववर्ष का विव	के लिए अन् रण	य प्रतिकर			
	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संपत्ति की प्रकृति	पता	कराई गई है, या बनी हु से दिदि/मामा/वव	ई है तक दिदि/मामा/वव	किराए की रकम	पर्याप्त किराया	प्रकृति	प्रतिकर की रकम	पर्याप्त प्रतिकर			
(1)	(2)	(3)	(4) <भूमि/ भवन/	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			

		अन्य					ì
		संपत्ति>					l
							İ

अनुसू का वि	•	र्भ के दौरान उनके द्वारा प्रदान व	की गई सेवाओं के लिए संपरीक्षिती ^{हे}	क संसाधनों में से निर्दिष्ट व्यक्ति को भु	गतान किए गए	वेतन, भत्ते या अन्यथा
			निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति	पूर्ववर्ष के सं भुगतान की प्रकृति	दाय का ब्यौरा संदाय की रकम (रुपये में)	सेवाओं के लिए उचित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				< वेतन/भत्ता/अन्यथा (कृपया निर्दिष्ट करें)>		

अनुसूच	नुसूची एसपी-घ : पूर्ववर्ष के दौरान संपरीक्षिती की सेवाओं का ब्यौरा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है ?													
豖.			सेवाओं व	न ब्यौर <u>ा</u>	पूर्ववर्ष के पारिश्रवि	मेक का ब्यौरा	पूर्ववर्ष	र् <u>व</u> के प्रतिकर का ब्यौ	रा					
सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक		*	पारिश्रमिक की	सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक	लिए	सेवा के लिए प्रतिकर की वास्तविक रकम	पर्याप्त मुआवजा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					

अन्	सूची एसप	गि- ङ 1	: पूर्ववर्ष के	दौरान विनि	र्दिष्ट व्यक्ति से संप	ारीक्षिती द्वार	ा या उसकी व	ओर से खरीदा	गया किसी शे	यर, प्रति	भूति का ब्य	गैरा है ?		
豖.	विनिर्दिष्ट	ट वि		खरीदी गई		शेयर या	प्रतिभूति का	ा ब्यौरा		अन्य चर	त्र संपत्ति क	ग ब्यौरा		
सं.	व्यक्ति	का व्य		संपत्ति की										
	नाम		ायी खाता	प्रकृति	उस कंपनी/	पूर्व-वर्ष के	प्रत्येक	शेयर या	शेयर या	संपत्ति	खरीदी	संपत्ति	पूर्ववर्ष के	पर्याप्त
		सर	<u> ड्या</u>		संस्था का				प्रतिभूति के				दौरान संपत्ति	प्रतिफल
					नाम, जिसके	खरीदे गए शेयरों की	प्रतिभूति		लिए पर्याप्त	प्रकृति			के लिए संदत्त	
					शेयर खरीदे	शेयरो की	की कीमत	प्रतिफल	प्रतिफल		की संख्या		कुल प्रतिफल	
					गए हैं	संख्या								
				<शेयर/										
				प्रतिभूति/										
				अन्य संपत्ति										
				>										
(1)	(2)	(3))	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अनुसू	अनुसूची एसपी - ङ 2 : अन्य चल संपत्ति की दशा में ब्यौरे												
क्र.सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी	आस्ति का प्रकार	संपत्ति का	क्षेत्रफल (वर्ग	स्टैंप शुल्क	प्रतिफल का	ब्यौरा					
	का नाम	खाता संख्यांक		पता	फुट में)	मूल्य	आस्ति के लिए संदत्त	आस्ति के लिए					
					3/5 11)		प्रतिफल की रकम	पर्याप्त प्रतिफल					
			< भूमि/ आवासीय/										
			वाणिज्यिक संपत्ति										
			आदि)>										

अ	ननुसूची एसपी - च1 -: किसी शेयर, सुरक्षा का विवरण पिछले वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को न्यास या संस्था द्वारा या उसकी ओर से किए गए विक्रय ?													
	विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट शेयर या सुरक्षा का विवरण चलायमान अन्य संपत्ति का विवरण													
क्र सं			गई गई संपत्ति की	नाम या कंपनी जिसके	के दौरान	प्रत्येक शेयर या प्रतिभूति की कीमत	9	सुरक्षा के लिए पर्याप्त	संपत्ति	विक्रय की गई चल संपत्तियों की संख्या	संपत्ति की	पिछले वर्ष के दौरान संपत्ति के लिए कुल	पर्याप्त प्रतिफल	

				किए जाते हैं	की संख्या							प्रतिफल	
			< शेयर / सुरक्षा / अन्य संपत्ति >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अनुर	अनुसूची एसपी - च 2: अन्य संपत्ति के अचल होने के मामले में विवरण:													
	विनिर्दिष्ट व्यक्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति आस्ति का प्रकार आस्ति का क्षेत्रफुल (वर्ग स्टाम्प ड्यूटी विचार का विवरण													
क्र.	का नाम	का पैन		पता	फुट में)			आस्ति के लिए						
सं.							प्रतिफल की राशि	पर्याप्त प्रतिफल						
			< भूमि/आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति											
			आदि>											

अनु	अनुसूची एस पी – छ : किसी भी आय या संपत्ति का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में अपयोजन किया गया है												
		विनिर्दिष्ट व्यक्ति	अपयोजित की गई आय या	संपत्ति का विवरण									
सं	संपत्ति का अपयोजन किया गया है			आय या संपत्ति का मूल्य जो अपयोजित किया जाता है (रुपए में)									
(1	(2)	(3)	(4)	(5)									

अनुस् है	्ची ज : किसी भ	ी निधि क	ा विवरण ज	ो पिछले वर्ष के दौरान	किसी भी समुत्थ	ान में विनिधा	न किया गय	ा है, या बन	हुआ है, जिसमें नि	र्दिष्ट व्यक्ति का पर्या	प्त ब्याज
	उस समुत्थान व	ना विवरण	जिसमें निधि	धे विनिधान किए जाते	हैं, या बने रहते है	Ť			पर्याप्त ब्याज का वि	वेवरण	
क्र. सं.	समुत्थान का विवरण जिसमें निधि विनिधान करना जारी रखते हैं		समुत्थान का पता	ऐसी राशि जो वर्ष के दौरान समुत्थान में विनिधान की जाती है या बनी रहती है (रुपये में)	पिछले वर्ष के विनिधान की ता/माह/वर्ष से	अवधि		वर्ष के दौरान विनिधान से आय	समुत्थान में पर्याप्त व्याज रखने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	पर्याप्त ब्याज की प्रकृति
	< कंपनी / अन्य >										

अनुसू	ची अन्य विधि उल्लंघन					
क्र. सं.	विधि का नाम जिसके अधीन गैर-अनुपालन उद्भूत हुआ है	अननुपालन की प्रकृति	आदेश, निर्देश या डिक्री की तारीख, यह मानते हुए कि ऐसा अननुपालन हुआ है	क्या आदेश, निर्देश या डिक्री, किसी भी न्यायालय या अपीलीय मंच के समक्ष विवादित रहा है		क्या संपरीक्षिती के पक्ष में विवाद को अंतिम रूप दिया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	अनुसूची टीडीएस को नामंजूर किया जा सकता है: धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप- धारा (1) के अधीन अनुमेय राशि को नामंजूर किया जा सकता है:												
(क) भुगतान का विवरण जिस पर कर की कटौती नहीं की जाती है													
भुगतान की तारीख	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता								
ता/माह/वर्ष													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								

(ख) भुगतान का विव	(ख) भुगतान का विवरण जिस पर कर कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है													
भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता	कटौती की गई कर की राशि	जमा की गई (7) राशि, यदि कोई हो							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							

	अनुसूची 40क(3): धारा 40 क की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन राशि का विवरण नामंजूर किया जा सकता है ।							
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति (रुपए में)		पाने वाले का विवरण			
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता		

अनुसूची 40व विवरण	अनुसूची 40क(3क): धारा 40 क की उप-धारा (3 क) के साथ पठित धारा 10 (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नामंजूर राशि का विवरण						
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	राशि	प्रकृति	पाने वाले का विवरण			
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता	

अनुस्	अनुसूची 269धध : पिछले वर्ष के दौरान धारा 269 धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण या जमा या ली गई किसी भी विनिर्दिष्ट राशि का विवरण								
क्र. सं.	जमाकर्ता या ऋणदाता का नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण या जमा या कोई विनिर्दिष्ट रकम	लिए गए या स्वीकार किए गए ऋण या जमा की राशि	क्या पिछले वर्ष के दौरान ऋण या जमा राशि को चुकता किया गया था? हाँ/ नहीं	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में बकाया अधिकतम राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते या किसी अन्य माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके	क्या पाने वाले का खाता चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा क़िया गया है ?

_	अनुसूची 269धन : एक दिन में किसी व्यक्ति से, धारा 269ध न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक प्राप्त राशि का विवरण; या एकल लेनदेन के संबंध में; या पिछले वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में?											
पाने वाले का विवरण लेन-देन का विवरण प्रतिसंदाय का तरीका							ा तरीका					
क्र. सं.	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण जमा कोई विनिर्दि अग्रिम	या या ष्ट	राशि	कृपया रसीद की रीति विनिर्दिष्ट करें [चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते या किसी अन्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करकें]	चाहे खाता पाने वाले, यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा?	क्या चुकता किया गया है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या अन्य रीति से	क्या पाने वाले खाता चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है?

अ	नुसूची 269 न : पिछले वर्ष के दौरान धारा 269 न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण या जमा या किसी भी विनिर्दिष्ट अग्रिम के प्रतिसंदाय का विवरण?												
	पाने	वाले का विव	त्ररण				लेन-देन का विव	ारण			प्रतिसंदाय का तरीका		
क्र.	नाम	पैन, यदि उपलब्ध हो	पता	ऋण जमा कोई विनिर्दि अग्रिम	या या हेष्ट	राशि	कृपया रसीद की रीति विनिर्दिष्ट करें [चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते या किसी अन्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके]	वाले खाता,	क्या चुकता किया गया है?	अधिकतम बकाया राशि	चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या अन्य रीति	चेक या बैंक ड्राफ्ट	

अनुसूची टी	अनुसूची टीडीएस/टीसीएस								
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा	भुगतान की प्रकृति	स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान या प्राप्ति की कुल राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती करना आवश्यक था या (4) में से एकत्र किया जाना आवश्यक था	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई थी या विनिर्दिष्ट दर पर एकत्र किया गया था	(6) में से कटौती किए गए या एकत्रित कर की गई राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई या (7) में से विनिर्दिष्ट दर से कम पर एकत्र किया गया।	(8) पर कटौती किए गए या एकत्र किए गए कर की राशि	कटौती किए गए या एकत्रित किए गए किंतु (6) और (8) में से कर की राशि केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा नहीं की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस का विवरण								
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	यदि प्रस्तुत किया गया है, तो प्रस्तुत करने की तारीख	क्या कटौती किए गए गए या एकत्र किए गए कर के विवरण में उन सभी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिन्हें रिपोर्ट करना आवश्यक है				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज			
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा 201 (1 क) या 206 ग (7) के अधीन ब्याज की राशि देय है।	स्तंभ से भुगतान की गई राशि (2)	भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 10ख के लिए टिप्पण

- 1. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य चिकित्सा संस्थान या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्थान इस प्ररूप में " संपरीक्षिती " के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा:
- 2. धारा 13 की उपधारा)3) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 3. *क्रम संख्या 6 में, वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चय किया गया है और जिसे नियम 17कक के उप-नियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे समाधान के सात दिनों के भीतर लिखित में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया गया है;
- 4. **क्रम संख्या 9 में, उस धारा के लिए जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित या अनंतिम रूप से अनुमोदित है, निम्नलिखित कोडों में से एक का चयन किया जाएगा (सभी रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन या अधिसूचना का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान मान्य हैं, उपबंध किया जाना चाहिए, तथापि जहां संपरीक्षिती को रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन मिला है, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के बाद अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है:

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (क)	1
(2)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ख)	2
(3)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ग)	3
(4)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	4
(5)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	5
(6)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	6
(7)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ii)	7
(8)	अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (iiक)	8
(9)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (iii)	9
(10)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	10
(11)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	11
(12)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	12
(13)	कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	13

5. # पंक्ति 10 (क) में, स्तंभ (2) में संबंध के लिए निम्नलिखित कोडों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	लेखक	1
(2)	संस्थापक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	समाज के सदस्य	5
(6)	शासी परिषद के सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारकों के पास 5% या अधिक शेयरधारिता है	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

6. ##क्रम संख्या 10 (क), स्तंभ (5) में, और क्रम संख्या 10 (ख) में, स्तंभ (4) में, आईडी कोड के स्थान पर निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार नंबर उपलब्ध है, तो इसे आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन या आधार उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या व्यक्ति कहाँ रहता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालक विज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

7. \$ क्रम संख्या 11 में, संपरीक्षिती के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:

豖.	वस्तु	कोड
सं.		
(1)	धार्मिक	1
(2)	निर्धन को अनुतोष	2
(3)	शिक्षा	3
(4)	चिकित्सा अनुतोष	4
(5)	योग	5
(6)	पर्यावरण का संरक्षण (वाटर-शेड, वन और वन्यजीव सहित)	6
(7)	संस्मारकों या कला अथवा ऐतिहासिक रुचि के स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण	7
(8)	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किन्हीं अन्य वस्तुओं का संवर्द्धन	8

8. \$\$ क्रम संख्यांक 14(ii) के स्तंभ (2) में, एक या अधिक कोड का चयन किया जाएगा :

क्र.सं.	नियम 17कक में दिए गए अनुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की प्रकृति	कोड
(1)	रोकड़ बही	1
(2)	खाता बही	2
(3)	जर्नल	3
(4)	बिलों की प्रतियां, चाहे मशीन संख्यांकित हों या अन्यथा क्रमांकित हों, जहां कहीं भी ऐसे बिल निर्धारिती द्वारा जारी किए जाते हैं, और निर्धारिती द्वारा जारी किए गए मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमांकित रसीदों की प्रतियां या काउंटरफॉइल	4
(5)	मूल बिल, जहां कहीं व्यक्ति को जारी किए गए और व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में रसीदें	5

(6)	कोई अन्य बही, जिसे व्यक्ति के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है	6
(7)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार उपक्रम के लिए क्रम संख्यांक 1 से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	7
(8)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार उपक्रम से भिन्न निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के लिए, क्रम संख्यांक 1	8
	से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	
(9)	व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं और संस्थाओं का अभिलेख, जिसमें उनके नाम, पते और प्रयोजनों का विवरण हो	9
(10)	नियम 17कक(1)(घ)(ii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख	10
(11)	नियम 17कक(1)(घ)(iii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान आय में से आय आदि के उपयोजन का अभिलेख	11
(12)	नियम 17कक(1)(घ)(iv) के अनुसार वर्तमान पूर्ववर्ष से पहले के किसी पूर्ववर्ष की आय में से आय के उपयोजन का अभिलेख	12
(13)	नियम 17कक(1)(घ)(v) के अनुसार विनिर्दिष्ट निर्देश के साथ कि वे समग्र निधि का भाग होंगे, किए गए स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख	13
(14)	धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के	14
	प्रयोजन के लिए प्राप्त अभिदाय का अभिलेख, जिसे नियम 17कक(1)(घ)(vi) के अनुसार समग्र निधि के रूप में माना जा रहा है	
(15)	नियम 17कक(1)(घ)(vii) के अनुसार ऋण और उधार का अभिलेख	15
(16)	नियम 17कक(1)(घ)(viii) के अनुसार संपत्तियों का अभिलेख	16
(17)	नियम 17कक(1)(घ)(ix) के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख	17
(18)	नियम 17कक(1)(घ)(x) के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज, जिनमें कोई अन्य सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट हो ।	18

- 9. ^क्रम संख्यांक 17(ii)(ग) और 18(ii)(ग) में, कारबार उपक्रम या प्रयोजनों के आनुषंगिक कारबार के लिए यथा अनुयोज्य प्ररूप 3गक या 3गख में तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा संपरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करें (अपलोड सुविधा ई-फाइलिंग उपयोगिता प्रदान करेगी)।
- 10. + आयकर नियम, 1962 के नियम 6ककखक में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ढंग निम्नलिखित ढंग होंगे :
 - क. क्रेडिट कार्ड ;
 - ख. डेबिट कार्ड ;
 - ग. नेट बैंकिंग ;
 - घ. आईएमपीएस (तत्काल संदाय सेवा) ;
 - ङ. यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ;
 - च. आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) ;
 - छ. एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) ; और
 - ज. भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे ;
- 11. ^^क्रम संख्यांक 41 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित एक या अधिक कोड का चयन करें :

क्र.सं.	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास का लेखक या संस्था का संस्थापक ;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति, जिसने न्यास या संस्था को पर्याप्त अभिदाय किया है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति, जिसका सुसंगत पूर्ववर्ष के अंत तक कुल	2
	अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	
(3)	जहां ऐसा लेखक, संस्थापक या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुटुंब का सदस्य है;	3
(4)	संस्था के किसी न्यास का न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;	4
(5)	पूर्वोक्त किसी भी ऐसे लेखक, संस्थापक, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार ;	5
(6)	कोई भी समुत्थान, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का पर्याप्त हित है।	6

- 12. किसी सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी, डाक घर बचत बैंक द्वारा प्राप्ति या उसको संदाय की दशा में या धारा 269धध में निर्दिष्ट संव्यवहारों की दशा में या अधिसूचना सं0 का.आ. 2065(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में, अनुसूची 269धन में विशिष्टियां दिए जाने की आवश्यकता नहीं है;
- 5. मूल नियम में, प्ररूप सं0 10खख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

'प्ररूप सं. 10खख

[नियम 16गग और नियम 17ख देखिए]

किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) या किसी न्यास या संस्था, जिसे धारा 12क के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। *मैंने/हमने [निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान का नाम] के तुलन पत्र की के रूप में परीक्षा कर ली है और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाता उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखे गए खाते बहियों के अनुरूप है। *मैंने/हमने *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए *मेरी/हमारी राय में, उपाबंध की पंक्ति 11 में उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के रजिस्टीकत कार्यालय में खाता बहियों का उचित रखरखाव किया गया है: *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपाबंध में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं, जो निम्नलिखित टिप्पणियों या विशेषताओं के अधीन हैं, यदि कोई हो-(क) (ख)..... *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त खाते निम्नलिखित मामलों में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं-(i) तुलन पत्र के मामले में, ऊपर नामित * निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामलों की स्थिति को; और (ii) आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाते के मामले में, को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में उसकी आय और उपयोजन /लाभ या हानि। निम्नलिखित टिप्पणियों/योग्यताओं के अधीन-(क) (ख) (ग) विहित विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं। स्थान : तारीख:

हस्ताक्षरित लेखाकार †

नाम

सदस्यता संख्या

पता

टिप्पण :

- 1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
- 2. † यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है।
- जहां इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले का नकारात्मक या विशेषता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

						उपाबंध विशिष्टियो का कथ	ग न						
	1.	लेखापरी	ोक्षिती का	पीएएन			· ·			АВ	C D E 1	2 3 4 F	1
	2.	लेखापरी	ोक्षिती का	नाम									
	3.	निर्धारण	ा वर्ष										
मूल विवरण	4.	से से									m m y y y y		
			d c लेखापरीक्षिती का रजिस्ट्रीकृत पता									у	
	5.									0 6	· · · · · ·		
	6.		, यदि ला								नेर्दिष्ट करें *>	F	D
विधिक	7.	लखाप	रीक्षिती का	प्रकार						न्यास 💄	🗋 सोसाइ 🔲 व टी	भ्यना 🖺	अन्य 🗓
<u> </u>	8.	क्या ले	खापरीक्षिर्त	ो किसी लिखत के अ	ाधीन गठित है ?					हाँ /नहीं			
	9.			iस्थापकों/सेटलर/न्य क्षिती के पदाधिका	ासियों/सोसाइटी के सदस री	यों/शासी परिषद के सदः	म्यों/निदेश [ः]	क/शेयरध	ारकों के 5%	या अधिक शेय	रधारिता का विवरण	/ पूर्व वर्ष के दौर	ान किसी
		व्यक्ति क	ा नाम	सम्बन्ध < टिप्पण निर्दिष्ट करें #>	शेयरधारक की दशा	विशिष्ट पहचान संख्या	आई डी < निर्दिष्ट ##>	कोड टिप्पण करें	पता	संपरीक्षा के परिवर्तन हुउ हाँ /नहीं	पूर्व वर्ष के दौरान सम्ब ग़ है ?	बन्ध में क्या कोई	यदि हाँ, तो परिव र्तन विनि दिंष्ट करें
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)			(8)
प्रबंधन		(ख) [पंरि	(ख) [पंक्ति 9(क)में यथा उल्लिखित] किसी व्यक्ति के व्यष्टिक न होने की दशा में , पूर्व वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें, जो इसे व्यक्ति के (5% या										(5% या
, p		अधिक)	अधिक) फायदाग्राही स्वामी हैं										
		क्र. सं.		नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आई डी कोड < टिप्पण निर्दिष्ट करें ##>	पता	कोई व्यष्टिक व्यक्ति, फायदा	जिसमें	फायदाग्राही प्रतिशत	स्वामित्व का	संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान क्या कोई परिवर्तन हुआ है हाँ /नहीं	यदि हाँ, तो परिव र्तन विनि दिंष्ट करें
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)	(9)
	10.	(i)	_	खापरीक्षिती को अ गरम्भ हुए हैं	नंतिम रजिस्ट्रीकरण या	अनंतिम अनुमोदन प्रदान	किया गय	गा है, क्य	ा क्रियाकलाप	। पूर्व वर्ष के	हाँ /नहीं		
रुआत		(ii)	यदि 10) (i) <i>में हाँ है तो</i> , ी	क्रियाकलापों के आरम्भ हं	होने की तारीख					d d m m	у у у у	
गतिविधियों की शुरुआत		(iii)			तो क्या धारा 12क की ा 10 के खंड (23ग) पह						हाँ /नहीं		
गति		(iv)	यदि 10	O(iii) में हाँ है तो ,	रजिस्ट्रीकरण या अनुमो	दिन के लिए उपयोजन	की तारीख	Г			d d m	m y y y	/ у
गैर	11.	(i)			दस्तावेजों को लेखापरी बनाए रखा गया है?	क्षिती द्वारा नियम 17कव	क के अधीन	यथा वि	हित प्ररूप अं	ौर रीति में	हाँ /नहीं		
जियाँ जो भ		(ii)			स्या लेखा बहियों का रग	वरखाव रजिस्टीकत का	र्गालय में वि	केया जात	π ਵੈ?		हाँ /नहीं		
स्थान के ब्यौरे जहाँ लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं		(iii)			न्या अखा बाह्या का रा 					दान करें जहां		 ती हैं	
जहाँ गावेज		()	(क)		ाजरप्राकृत रक्तान गण । जहां बहियां रखी जात							4	
5 ब्यौरे य दस्त			(祖)		स्थान पर खाता रखने के						dd/mm/yyyy		
थान बे अन			(ग)		उप-नियम (3) के परंतुक		कारी को	सूचना देने	ने की तारीख	कि खाते ऐसे	dd/mm/yyyy		
H				स्थान पर रखे गए			, , ,	e ,			,,,,,		

	12.	क्या लेखापरी	ोक्षिती ने पूर्व वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 10खघ दाखिल किया है <यदि नहीं तो क्रमांक 14 पर जाएं>	हाँ /नहीं	
	13.	पूर्ववर्षके ि	लेए लेखापरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10 खघ में प्रस्तुत दान का कुल योग	(रकम रुपए में)	
	14.	दान प्ररूप स	नंख्या 10 खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है/ प्ररूप संख्या 10 खघ भरने की आवश्यकता नहीं है	रकम रुपए में	
दाय	15.	पूर्ववर्षके व	गैरान लेखापरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [13+14)]	रकम रुपए में	
स्वैच्छिक अभिदाय	16.	15 में बताय	ा गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय	रकम रुपए में	
वैच्छिव	17.	समग्र निधि	का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल हैं)	रकम रुपए में	
н	18.	बेनामी दान	धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है	रकम रुपए में	
	19.	भारत के बाह	हर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है	रकम रुपए में	
	20.	पूर्व वर्षकेट	रौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)]	रकम रुपए में	
	21.	किए गए अ	निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट भेदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या प्ता संस्था की आय	रकम रुपए में	
	22.	पूर्व वर्ष के ब	रौरान लेखापरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजन के लिए अपेक्षित आय [20+21]	रकम रुपए में	
	23.		योजन (क्रम संख्या 27 के अधीन अपात्र और रिपोर्ट किया गया उपयोजन को छोड़कर)		
		(i) ^{पूर्व}	वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित कुल रकम	रकम रुपए में	
		(ii) रक	म जो वास्तव में पूर्व वर्ष के दौरान संदाय नहीं की गई थी [यदि (i) में शामिल है]	रकम रुपए में	
			वर्ष के दौरान वास्तव में संदाय की गई रकम जो किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित हुई थी लेकिन पूर्ववर्ती वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में दावा नहीं की गई थी	रकम रुपए में	
		(iv) उप	योजन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम [23(i)- 23(ii) +23(iii)]	रकम रुपए में	
			ग्र निधि में निवेश की गई या वापस जमा की गई रकम जिसे किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित किया । था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था	रकम रुपए में <>	
		(vi) पूर्व के र	वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुन:संदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन रुप में दावा नहीं किया गया था	रकम रुपए में	
		उपयोजन से	अननुज्ञात की जाने वाली रकम		
		(vii)	धारा 10 के खंड (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (झक) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुजेय रकम	रकम रुपए में < अनुसूची टीडीएस अननुज्ञात भरें >	
		(viii)	धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40क की उप-धारा (3) या (3क) के साथ पठित धारा 11 की उप- धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुज्ञेय रकम,	रकम रुपए में < अनुसूची 40क (3)/ अनुसूची 40क(3क) भरें >	
डपयोजन		(ix)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को समग्र निधि के लिए दान	रकम रुपए में	
आय का उपयोजन		(x)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान जिसके वही उद्देश्य नहीं हैं	रकम रुपए में	
		(xi)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान से भिन्न किसी व्यक्ति को दान	रकम रुपए में	
		(xii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है	रकम रुपए में	
		(xiii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त किया गया है		
		(xiv)	ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया	रकम रुपए में	
		(xv)	कोई अन्य अननुज्ञेय	रकम रुपए में	
		(xvi)	कुल अनुज्ञेय उपयोजन [{23(iv)+23(v)+23(vi) – {23(vii) से 23(xv)}]	रकम रुपए में	
		(xvii)	धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित समझी गई रकम	रकम रुपए में	
		(xviii)	धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 या धारा 11 की उप-धारा (2) के के उपबंधों के अधीन संचित आय	रकम रुपए में	
		(xix)	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों या न्यास या संस्था की कथन की गई वस्तुओं के लिए जमा की गई या अलग रखी गई आय,	रकम रुपए में	

			आय के 15% से	अधिक नहीं है							
	24.	कराधेय आय	22- [23(xvi) से	23(xix)]				रकम रु	पए में		
	25.	धारा 1	15खखझ के अर्ध	ोन कराधेय आय				रकम रुपये	में		
	26.	अनाम	संदान जो धारा1	15 खखग के अधीन @30% व	कर के लिए प्रभ <u>ा</u>	र्य है		रकम रुपये	में		
		पूर्व वर्ष	के दौरान निम्न	रकम रुपये	में						
h r		(क)	किसी पूर्व वर्ष (2) के अधीन	के दौरान धारा 10 के खंड 23 संचित आय	(ग) के तीसरे प	रंतुक के अधीन या धारा 11	की उपधारा	कुल रक (रु.)	म		
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयोजन		(ख)		र्ग के दौरान धारा 11 की उपधा í उपयोजित समझी गई आय	कुल रक (रु.)	म					
त्रोतों से आ	27.	(ग)	पूर्वतर पूर्व वर	र्ग की आय 15% तक संचित या	अलग रखी गई			कुल रक (रु.)	म		
विभिन्न स		(ঘ)	समग्र अंश					कुल रक (रु.)	म		
		(ड.)	उधार ली गई	निधि				कुल रक	म		
		(च)	कोई अन्य (कृ	कुल रक	कल रकम						
								(₹.)			
	28.		ष्ट व्यक्ति के ब्यौरे								
		(3)में ¹ का कोड	धारा 13 की उपधारा (3)में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोड >टिप्पण निर्दिष्ट करें <^^					न पता	ा पता यदि संत्भ (1) में कोड 2 चयनित किया गया है तो संपरीक्षिती को किए गए अभिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करें		
	29.	धारा 13	धारा 13(2) में निर्दिष्ट आय/संपत्ति के ब्यौरे								
	(क)			ग्र या संपत्ति का कोई भाग पूर्वव ों के बिना किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति				हां /नही	ं यदि हां, तो रकम रुपये में		
<u> क</u> ्ति	(ख)	विनिर्दि	परीक्षिती की को ष्ट व्यक्ति के उपर्य रहती है	हां /नही	र्यदि हां, तो रकम रुपये में						
113 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति	(ग)	में कोई	वेनिर्दिष्ट व्यक्ति व रकम संपरीक्षिर्त सी सेवाओं के लि	हां /नही	र्प यदि हां, तो रकम रुपये में						
113 (3) ‡	(ঘ)		गरीक्षिती की सेव उपलभ्य की जा	हां /नही	र्प यदि हां, तो रकम रुपये में						
	(ड.)			को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य पूर्ववर्ष के दौरान खरीदी जाती :		——— से अधिक प्रतिफल के लिए,	संपरीक्षिती	हां/ नही	र्ग यदि हां, तो रकम रुपये में		
	(च)			को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य र्कि दौरान बेची जाती है	——— य संपत्ति पर्याप्त	——- से कम प्रतिफल के लिए संप	——— रीक्षिती द्वारा	हां/ नही	र्ग यदि हां, तो रकम रुपये में		
	(ন্ত্ৰ)	क्या संप है	परीक्षिती की को	ई आय या संपत्ति किसी विनिर्दि	ष्ट व्यक्ति के पक्ष	में पूर्ववर्ष के दौरान अपयो	जित की जाती	हां /नही	र्ग यदि हां, तो रकम रुपये में		
	(ज)			ई निधि, पूर्ववर्ष के दौरान किर्स ामें कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति सारव			हेत की जाती	हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में		
	30.			त 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें प ोनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन या ऐसे उ			ां उपधारा (4)	हां /नही	रकम रु. में		

	(क)	संपरीक्षिती की आय न्यास या संस्था के उद्देश्यों से भिन्न उपयोजित की गई है	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(ख)	क्या संपरीक्षिती के पास कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है या संपरीक्षिती द्वारा कारोबार के बाबत पृथक लेखा बहियां नहीं रखी गई है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है ।	हां /नहीं	रकम रु. में
	(ग)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)में निर्दिष्ट संपरीक्षिती ने प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है, जो जनता के फायदे सुनिश्चित नहीं करता है	हां /नहीं	रकम रु. में
	(ঘ)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)में निर्दिष्ट, संपरीक्षिती ने, किसी विशिष्ट समुदाय या जाति के फायदे के लिए अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है	हां नहीं	रकम रु. में
	(ड.)	क्या संपरीक्षिती दवारा किए जा रहे कोई क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे है जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था	हां/ नहीं	रकम रु. में
	(च)	क्या संपरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और आदेश, निदेश या डिक्री चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाता हो, की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है, यह मानते हुए कि ऐसा अननुपालन हुआ है या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त कर ली है	हां/ नहीं	रकम रु. में
31.		ल्यह्रास या अन्यथा का कोई दावा किसी आस्ति के बाबत धारा 10 के खंड (23ग) के स्पष्टीकरण के ों में किया गया है जिसका अर्जन आय के उपयोजन और ऐसे मूल्ह्रास की रकम के रुप में दावाकृत किया ?		यदि हाँ तो रकम विनिर्दिष्ट करें
32.	क्या सं है	परीक्षिती को अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार कर कटौती या संग्रह करना अपेक्षित		ानुसूची टीडीएस/टीसीएस र टीडीएस/टीसीएस पर

अनुसूची भरे जो लागू ह	अनुसूची भरे जो लागू हो अनुदेशों को निर्दिष्ट करें < प्ररुप10 खख>										
अननुज्ञेय टीडीएस अनुसूची:धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक और धारा 11 की उपधारा के अधीन अस्वीकार्य रकमों और अननुज्ञेय रकमों के ब्यौरे											
(क) संदाय के ब्यौरे जिस	स पर कर नहीं काटा गया है										
संदाय की तारीख संदाय की रकम संदाय की प्रकृति प्राप्तिकर्ता का प्राप्तिकर्ता का प्राप्तिकर्ता का प्राप्तिकर्ता का पातिकर्ता का नाम पैन या आधार यदि उपलब्ध हो											
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)					
(ख)संदाय के ब्यौरे जिस	। पर कर काटा गया है किंतु	धारा 139 की उपधारा	(1) में विनिर्दिष्ट दे	य तारीख पर या	उससे पहले संदत्त न	हीं किया गया	है				
(ख)संदाय के ब्यौरे जिस पर कर काटा गया है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख पर या उससे पहले संदत्त नहीं किया गया है संदाय की तारीख संदाय की रकम(रु. में)। दिदि/मामा/वववव में)। पता कर की रकम यदि उपलब्ध हो											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				

	अनुसूची 40क (3क) :धारा 40(क)की उपधारा 3 के साथ पठित धारा1 0(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन रकम के ब्यौरे अननुज्ञेय है								
क्र.सं.	संदाय की तारीख	संदाय की रकम	संदाय की प्रकृति	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे					
		(रु. में)	(रु. में)	नाम पैन या आधार , यदि उपलब्ध हो पता					

अनुसूची 40 (3क)क: धारा 40क की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अननुज्ञेय रकम के ब्यौरे									
क्र.सं.	संदाय की तारीख	रकम	प्रकृति	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे					
				नाम पैन या आधार , यदि उपलब्ध हो पर					

अनुसूची टीडी	अनुसूची टीडीएस/टीसीएस											
कर कटौती	धारा	संदाय	स्तंभ (3) में	कुल रकम जिस	कुल रकम जिस	(6)में से	कुल रकम जिस	(8)पर काटे	(6)और (8) में से			
और संग्रह		की	विनिर्दिष्ट	पर कर (4) में	पर कर (5) की	काटी गई	पर कर (7) की	गए या	काटे गए या			
लेखा संख्या		प्रकृति	प्रकृति का	से काटा या	विनिर्दिष्ट दर पर	या संग्रहीत	विनिर्दिष्ट दर पर	संग्रहीत किए	संग्रहीत किए गए			
(टीएएन)			संदाय या	संग्रहीत किया	काटा या संग्रहीत	कर की	काटा या संग्रहीत	गए कर की	किंतु केंद्रीय सरकार			
			प्राप्ति की कुल	जाना अपेक्षित	किया गया था	रकम	किया गया था	रकम	के प्रत्यय में जमा			
			रकम	था					नहीं की गई कर की			
									रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			

टीडीएस या टीसीएस का अनु	टीडीएस या टीसीएस का अनुसूची विवरण													
कर कटौती और संग्रह लेखासंख्या (टीएएन)	प्ररुप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख ,यदि दी गई हो	क्या काटे गए या संग्रहीत किए गए कर के विवरण में सभी संव्यवहारों के बारे में जानकारी है , जिनका रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										

टीडीएस/टीसीएस पर अनुसूची ब्याज			
कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या	धारा 201(1क) या 206ग(7) के अधीन ब्याज की रकम देय	स्तंभ (2) में से संदाय की गई	रकम के संदाय की
(टीएएन)	_{मै} ह	रकम	तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररुप 10 खख के टिप्पण

- **1. अधिनियम की** धारा 10 के खंड(23 ग) के उप-खंड (iv), उप-खंड (vi), उप-खंड (vi) या उप-खंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को इस प्ररूप में "संपरीक्षिती " के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 2. **धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- 3. *क्रम संख्यांक 6 में ,वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चित किया गया है और जिसे नियम 17कक के उपनियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर लिखित रूप में क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारीकी अधिकारिता के लिए सूचित किया गया है,
- 4. क्रम संख्यांक 9(क) में, संबंध के लिए, स्तंभ (2) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चयनित किए जाएंगे

क्रम सं.	धारा	कोड
(1)	निर्माता	1
(2)	संप्रवर्तक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	सोसाइटी का सदस्य	5
(6)	शासकीय परिषद् का सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारक 5% या अधिक के शेयरधारी	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

5. ## क्रम संख्याक 9(क) के स्तंभ 5% में, और क्रम संख्यांक 9(ख)के स्तंभ (4) में विशिष्ट पहचान संख्या के स्थान पर और यदि कोड है, तो निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है ,तो उसे अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए :

पहचा		कोड
पैन		1
आधार	: संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन न ही आधार उपलब्ध है ,निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए :

पहचान के प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति रहता है	3
पासपोर्ट संख्या	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशनकार्ड संख्या	7

6.^^क्रम सख्या 28 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें:

क्र.सं	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास के निर्माता या संस्था के संप्रवर्तक;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति जिसने न्यास या संस्थान में पर्याप्त अभिदाय दिया है,अर्थात् कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक कुल अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	2
(3)	जहां ऐसा निर्माता संप्रवर्तक ;या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है वहां उस कुटुंब का सदस्य;	3
(4)	न्यास का कोई न्यासी या संस्था का प्रबंधक जिस नाम से संबोधित हो;	4
(5)	यथापूर्वोक्त किसी भी ऐसे निर्माता, संप्रवर्तक;, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार;	5
(6)	कोई भी समुत्थान जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई सारवान रखता हित रखता है।	6

[अधिसूचना सं. 7/2023 [फा. सं- 370142/47/2022-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक, (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण -मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 95(अ) तारीख 14 फ़रवरी,2023 द्वारा अर्तिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

- **G.S.R.** 118(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as the Act), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Income-tax Amendment (3rd Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 hereinafter referred to as the principal Rules, for rule 16CC, the following rule shall be substituted, namely:—
 - '16CC.Form of report of audit prescribed under tenth proviso to section 10(23C).—The report of audit of the accounts of a fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to be furnished under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 shall be in—
 - (a) Form No. 10B where—
 - (I) the total income of such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution, without giving effect to the provisions of the sub-clauses (iv), (v), (vi) and (via) of the said clause, exceeds rupees five crores during the previous year; or
 - (II) such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution has received any foreign contribution during the previous year; or
 - (III) such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution has applied any part of its income outside India during the previous year;
 - (b) Form No. 10BB in other cases.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (II) of clause (a), the expression "foreign contribution" shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).'

- 3. In the principal Rules, for rule 17B, the following rule shall be substituted, namely:—
 - **'17B.Audit report in the case of charitable or religious trusts, etc.** The report of audit of the accounts of a trust or institution which is required to be furnished under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A, shall be in—
 - (a) Form No. 10B where—
 - (1) the total income of such trust or institution, without giving effect to the provisions of sections 11 and 12 of the Act, exceeds rupees five crores during the previous year; or
 - (II) such trust or institution has received any foreign contribution during the previous year; or
 - (III) such trust or institution has applied any part of its income outside India during the previous year;
 - (b) Form No. 10BB in other cases.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (II) of clause (a), the expression foreign contribution shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).'

4. In the principal Rules, for Form no. 10B, the following form shall be substituted, namely:—

'FORM No. 10B

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.

- * I/We have obtained all the information and explanations to the best of *my/our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at serial number 14 of the Annexure:

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications—

particulars give	n in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications—
(a)	
(b)	
(c)	
	inion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said true and fair view—
` '	case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named * fund or trust or institution or diversity or other educational institution or hospital or other medical institution as on; and
· /	case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application profit or loss of its accounting year ending on
subject to the fo	ollowing observations/qualifications—
(a)	

(a) (b) (c)

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place .

Date .

Signed Accountant †

Name

Membership Number

Address

Notes:

- 1. *Strike out whichever is not applicable.
- 2. †This report has to be given by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).
- 3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

							State	ANNEX	-												
	1.	PAN	of the au	ditee					Pur	A	В	С	D	Е	1	2	3	4	F		_
	2.	Name	e of the au	ıditee								<u>'</u>									
70	3.	Asses	ssment Ye	ear														_			
Basic Details	4.	Previ	ous Year							d d	m	m y y	y	у							_
. De																					
Basic										To											
Щ										d d	m	m y y	y	y							
	5.	Regi	stered Ad	dress of the aud	itee																
	6.			s, if applicable						< refer note*> Trust											
Legal	7.	71	of the au					_		Trust		Society	L] Co	mpan	у Ц	Others	- Ш				
ĭ	8.			uditee is establi						Yes/No											
ails	9.	(deta provi regist	ils of all ded, hov tration/ap	stration/provision the registration wever where the proval need not	provisiona he audit	al registr ee has	ation/ap	proval/prov	vision	al approv	/al/not	tification	which	h are	e vali	d durin	g the	e previ	ous	year should of provision	be ıal
Registration Details		regist appro /notif	oved/ prov	which visionally registe visionally approv	ered or red or r	Date egistration egistration provision otification	on or ally	sional	al/	Registrat Notificat Registrat (URN), i	ion/ ion	Unique No	e re or ap	gistr nal r oprov a	ation/ egistr	granting provisi ration of ovisional ral of	r or r	Date from which registration//provisional registration/approval/provi sional approval/notification is effective		vi	
~				(1)	(dd/mm/y					(2)			(dd/mm/yyy							
	10.	(a) D	otails of a	(1) II the Author (s)	/ Foundar	(c) / Sott	(2)	rustoo (s)/	Mom	hors of so	(3)	/Mombo	rs of th	ho G	(4)		uncil/	Direct		(5) V sharahalda	orc
	10.			more of shareho											OVEIII	iiig cou	ilicii,	Directi	01 (3)	n shareholde	13
		person < refer share note#> case			Percenta sharehol case	ding in of	Uniqu Identii Numb	fication	<	Code refer	Ad	dress	re au	latio ıdit	n dur	ere is a ring pre				If yes, speci the change	fy
			(1)	(2)	sharehol			(4)	not	e##>		(6)	Y	es/N	0	(7)				(0)	
+		(h) In	(1)	(2)	(3) ons [as mentioned i			(4)	t an i	(5)	thon	(6)	tho fo	ollov	vina c	(7)	of the	natur	al no	(8)	ro
men				ers (5% or more						provide	tile it	OHOV	villig C	ictalis 0	11 1110	: IIatui	ai pe	ersons who a	16		
Management		Sl. No. Name		Name	Unique Identific Number	fication < refer note##>		Ado	dress	per me in 10(wh ber	rson [a: rson [a: rntioned row no (a)] in ich neficial nership	be ov	ercen enefi wner		of	th ar ch du pr ye au	Whether nere is ny hange uring revious ear of udit Yes/No		If yes, speci the change	fy	
			(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(8)		(9)	
	11.	Objec	cts of the													Note\$					
	12.	(i)		r the auditee, be ken modification											Yes/N	lo					
		(ii)		olease furnish fo				ot comorni	to the	condition	113 01 1	CEISHAN	,11:	+							_
			(A)	date of such m								\equiv	\Box								
ects			(B)		the prescribed form and manner f said adoption or modification, ection 12A. Yes/No																
Objects			(C)	If yes provide 12A	the follow	ing detai	ls regard	ding applica	ation	for regist	ration	under su	b-clau	ise (v	v) of o	clause (a	ac) of	f sub-se	ectio	n (1) of section	on
				S.No		Date Appl n	of licatio	Status of of applica	ation	stration i			cance	ellati appl	ion ba licatio			URN of such registration			
								(Pending/ granted/R		ration car		stration d)	(dd/	mm/	(yyyy))					

	13.	(i)		ere the audite					tion or provision	onal app	roval, whether	r Yes/N	lo			
ies		(ii)		es in 13 (i), da								d	d m	m y	y y y	
tivit		(iii)	If th	e answer to 1	3(i) is yes	, whether a	pplica	tion for regist	ration under sec	tion sub	b-clause (iii) o				171717	
of ac			claus		-section (1) of section	n 12A	or applicatio	n for approval i							
Commencement of activities		(iv)							rding application of clause (iii) of) of clause (ac)	of sub-
ommen			S.1	No		Date Application	of on	Status of reg to application	istration in pur	suance	Date of Region based on suc			on	URN of such	
ŭ								(Pending/		stration	(dd/mm/yyy	y)			registration	-
	14.	(i)	Who	ther the books of account and other documents have been kept and maintained in the form Yes/N												1
pur	14.	(1)	and manner and at such place as prescribed under rule 17AA by the auditee													
nts a		(ii)	Prov	Provide the following details of the books of account and other documents												
accou		S. No	Natu Bool	ks of		r ned by the	mai	ether ntained in a	Whether maintained		ntained at any sistered place	place otl	ner than	acco	ount have	oks of
s of			Acco	ount	auditee (Yes/No	o)	syst	nputer em.	at registered	Addres	Data of	Date	of		n audited s/No)	
Details of Place where books of accounts and other documents have been maintained			<re: Note</re: 			(Y		Yes/No)	office (Yes/No)	of suc Place		intimatic Assessin Officer books accounts kept a place proviso	on to ng that of s are t such under			
tails oth										place	rule (3) 17AA	of rule				
De		(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		
	15.	` '		ny of the proj	` '	utions run b		litee, one of the	e charitable pur	` ′			er object o		eral public utilit	y then,-
.y			Whether any activity is being carried on by the auditee which is in the nature of trade, commerce or Yes/No													
Jtilit		(A)		Whether any activity is being carried on by the auditee which is in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to clause (15) of section 2?										•		
lic U		(B)											%			
al Pub		(C)	Whether such activity in the nature of trade, commerce or business is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility										Yes/No)		
Advancement of General Public Utility		(D)		Whether the	ere is any	activity of re	enderi	ng any service	in relation to a se (15) of section	ny trade,		business	isiness Yes/No			
) Jo		(E)							is-à-vis total rec				%			
nent		(F)		Whether suc	ch activity	of renderin	g serv	vice is undertal	ken in the cours		al carrying ou	of such	Yes/No)		
ncer	16	If 'A'	or 'D					eral public uti	activities in res	aget of th	not project/inst	itution				
dva	16.	S.N					I ICCCI	-			1 0		in 15A a	nd 15I) (In Rs.)	
A		5.1		rvaine of 1 roj	ame of Project/ Institution Amount of aggregate annual receipts from activities referred in 15A and 15D (In Rs.)											
		Tot	<u>_</u> _										1			
		(i)							eferred to in sub	-section	(4) of section	11	Yes/No)		
aing			-			ess Underta		of the busines	s undertaking:							
rtak		(ii)		` /	ess Code	ess Underta	Kilig									
Unde	17.	(11)	-	(c) Wheth	er separat	e books of a	accour	nt have been m	naintained for th	e busine	ss undertaking	<refer< td=""><td>Yes/No</td><td>)</td><td></td><td></td></refer<>	Yes/No)		
Business Undertaking					e from the				revious year whi	ich is no	t to be include	d in the	Amoun	nt in R	S.	
Bu				(e) Incom	e from the	business u	nderta	king for the pr	1) of section 11 revious year whi	ich is to	be included in	the total	Amour	nt in R	S.	
0	18.	(i)		Whether the a	auditee ha	s any incom	ne beir		gains from any			seventh				
Business Incidental to Objects								of such busine	4A) of section 1 ess:	1, as the	case may be		Yes/No)		
cide cts		···		(a) Nature	of Busin	ess										
ss Incide Objects		(ii)	_	(b) Busine	ess Code											
nes.				(c) Wheth	er separat	e books of a	accour	nt have been m	aintained for th	e busine	ss <refer note<="" td=""><td>></td><td>Yes/No</td><td>)</td><td></td><td></td></refer>	>	Yes/No)		
3usi				(d) Wheth	er the bus	iness is inci	dental	to the attainm	nent of the object	ts of the	auditee		Yes/N	0		
		ĺ		(e) Profits	and gain	s from the h	ousine	ss during the r	revious vear				Amour	nt in R	2	

	19.	Details o	of the receipt	ts of the aud	itee on which	tax has been	deducte	d at so	urce referred	to in sections	194C or 194J	or 194H or 194Q	:			
TDS on receipts		S. No.	Name of the deductor	TAN of deductor	Amount on which tax has been deducted at source (In Rs.)	Amount of tax deducted at source	Section under which has deducte source	tax been	Category of in Trade, commerce or business (Rs.)	Activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business (Rs.)	Others (specify the nature) (Rs.)	Income/receipt in column 7 or 8 which is from business incidental to the attainment of the objects of the auditee. (In Rs.)	Whether separate books of account have been maintained for activities income/receipt which is mentioned in column 10 (Yes/No)			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
	20.						. ,				section 13 are	. ,	Yes/No			
	21.	Whether	auditee has	filed Form	No. 10BD for	the previous	year <	If No t	nen skip to ro	w 23 >			Yes/No			
	22.	Total Su	ım of donati	ons reported	d in Form No.	10BD furnis	hed by the	he aud	tee for the pro	evious year			(Amount in Rs)			
		Donation	ns not report	ed in Form	No 10BD/No	ot required to	fill Form	1 No. 1	0BD				1			
		(i)		received by (2) of secti		or institution	of the a	uditee	which is app	proved under	clause (b) of	Amount in R	S.			
		(ii)	Donations section 80	received by G (other tha	fund or trust n those dona	or institution tions qualifyinub-section (2)	ng under	clau	se (b) of sub-			Amount in R	S.			
				. ,		or institution		(a)		ations exceed	ding Rs. 2000	Amount in R	S.			
		(iii)	the auditee of sub-sect	approved union (2) of se	nder sub-clau	use (iv) of claud and which are n	ise (a)	(b)	Donation charitable from any any unive institution	s received from trusts and in fund or institutersity or other ns or any hospinstitution not	om other stitution or ution or trust of educational pital or other	Amount in Rs. or trust or onal other				
								(c)	Others <	Specify the n	ature>	Amount in R	Amount in Rs.			
								(d)	Total (a)	+(b)+(c)		Amount in R	S.			
St	23.	(iv)			l not be report er Form No 1	ed in Form N OBD	o 10BD	due to	non-availabi	lity of identif	ication of	Amount in R	Amount in Rs.			
contributions		(v)	Donations	received in	kind							Amount in R	S.			
ont						section 115E										
						nation not tag (1) of section			ction 115BBC	C on account	of applicabili	Amount in R	S.			
Voluntary		(vi)				onation not ta on (2) of section			ction 115BB	C on account	of applicabili	Amount in R	S.			
			(c) o	f clause (b	o) of sub-secti	on (2) of sect	ion 115I	BBC			of applicabili	Amount in R	S.			
			` ′			ns taxable @ 3	30 % un	der sec	tion 115BBC			Amount in R				
		(vii)	` '	otal (a+b+c		t part of Form	No. 101	BD		<please nature=""></please>	specify th	Amount in R Amount in R				
		(viii)	Total dona	tion not rep	oorted in Form	n No 10BD [2	23(i)+23	(ii)+23	(iii)(d) +23(iv	v)+23(v)+23((vi)(e)+23(vii)] Amount in Rs.					
	24.	Total voluntary contributions received by the auditee during the previous year [22+23(viii)] Ame							Amount in R	S.						
	25.	Total for	eign contrib	Amount in Rs. Fill Schedule FC>												
		Voluntar	ry Contribut	ion forming	part of corpu	s (which are i	ncluded	in 24)				Amount in R	S.			
	26.	(A) S	ub-section (2) of section	80G eligible	d for the reno e for exemption to sub-section	n under	Expla	nation 1A to t			Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>				
		(B) p				ise (d) of sub- r exemption a					to the third -section (5) of	Amount in Rs < Fill Schedu				
	27.	Voluntar	ry Contribut	ions require	d to be applie	d by the audit	ee durin	g the p	revious year	[24-{23(vi)(d)+26A+ 26B}	Amount in R	3.			

pe pe	28.								ferred to in section		Amount in Rs.				
Income to be applied		medica	l institu	ition (other	than the contribu	ution reported in	serial number	24)			Amount in Rs.				
ncoı ap	29.	Income	applie	d outside l	ndıa which is eliş	gible under clause	e (c) of sub-sec	tion (1) of	section 11		< Fill Schedule Int App>				
I	30.					the auditee during					Amount in Rs.	Amount in Rs.			
	31.	Applica				tion not eligible a			number 37)	,					
		(i)		l amount a revious ye		ble or religious p	urposes in Indi	a during	+Electronic (In Rs)	Other than Electronic (In Rs.)	Amount in Rs.				
			(a)	Contribu year	tion or donation	to any other perso	Amount in Rs.								
				Object w	vise application o	ther than the appl	lication provide	ed in (a)							
				(1)	Religious						Amount in Rs.				
				(11)	Relief of poor						Amount in Rs.				
				(111)	Education						Amount in Rs.				
				(IV)	Medical relief						Amount in Rs.				
			(b)	(V) (VI)		f environment (in	cluding waters	heds,			Amount in Rs. Amount in Rs.				
				(VII)		f monuments or p	places or object	s of			Amount in Rs.				
			(VIII) artistic or historic interest (VIII) Advancement of any other objects of general public utility							Amount in Rs.					
			(IX) Application which cannot be specifically categorised under (I) to (VIII)						Amount in Rs.						
				(X)	Total						Amount in Rs.				
			(c)	Total app	plication [(a) + (b)(X)]					Amount in Rs.				
		(ii)	—		vious year to any per										
Application of Income			S.No).	Name of person to whom amount paid or credited	PAN of such person	Amount of application (Rs)		Mode of applicati	on	TD	125			
cation o								+Electro c modes (Rs.)			Whether any TDS has been deducted	Section under which TDS has been deducted			
ilde									(Rs.)		Yes/No				
Αţ		(iii)	A	unt which	vvaa not ootvalle	paid during the p	marriana voam lit	f in aludad	in (i)(a)]		Amount in Rs.				
		(iv)							earlier previous ye	ear but not	Amount in Rs.				
			clain	ned as appl	ication of income	e in earlier previo	ous year								
		(v)	Tota	l amount to	be allowed as a	pplication [31(i)(c)- 31(iii) +31(iv)]			Amount in Rs.				
		(vi)				v) into Revenue	or Capital				Amount in Rs.				
		(*1)	(a)	Reven							Amount in Rs. Amount in Rs.				
		(vii)	Amo	(b) Capital Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding previous year and not claimed as application during that previous year. Repayment of loan or borrowing during the previous year which was earlier applied and not claimed as application during that previous year during that previous year.								orpus>			
		(viii)	Repa									B>			
		Amour					. ,								
		Amount to be disallowed from application (ix) Amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3 to subsection (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40								Amount in Rs. < fill schedule T	DS>				
	Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) or (3A) of section 40A Amount in < fill scheduler.									Amount in Rs. < fill schedule 40 40A(3A)>	OA(3)/schedule				
		(xi)	hosp	ital or othe	er medical institu	tion referred to in	n sub - clauses	(iv), (v),	educational institution (vi) or (via) of clor 12 of the Act to	ause (23C) o	f				
		(xii)	Dona hosp	ation to A	ny fund or institer medical institu	cution or trust or tion referred to in	any university n sub - clauses	or other (iv), (v),	educational insti (vi) or (via) of cl 11 or 12 of the A	tution or any ause (23C) o	Amount in Rs.				

			same	bjects		
		(xiii)	Donat institu	ion to any person other than any fund or institution or trust or any university or countries or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v) (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11	, (vi) or (via) of	Amount in Rs.
		(xiv)		ration outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section t been obtained	(1) of section 11	Amount in Rs.
		(xv)	Applic has be	cation outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section en obtained	(1) of section 11	
		(xvi)	Applie	ed for any purpose beyond the objects of the auditee		Amount in Rs.
		(xvii)	Any o		Amount in Rs.	
		(xviii)	Total a	allowable application [{31(v)+31(vii)+31(viii) – {31(ix) to 31(xvii) }]		Amount in Rs.
		(xix)		nt deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explant (1) of section 11	nation 1 to sub-	Amount in Rs. < fill Schedule DI>
		(xx)		e accumulated as per the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause sub-section (2) of section 11	(23C) of section	Amount in Rs. < fill Schedule AC>
		(xxi)		e accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or stat r institution to the extent it does not exceed 15 % of the income	ed objects of	Amount in Rs.
	32.	Taxa	ble Income	[30- {31(xviii) to 31(xxi)}]		Amount in Rs.
		+		under section 115BBI		
	33.	(a)		the auditee has any deemed income referred to in sub-section (1B) of section 11 chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed	Yes/No If yes fill Schedule DI	Amount in Rs.
		(b)	to clause	the auditee has any deemed income referred to in Explanation 4 to third proviso (23C) of section 10 or sub-section (3) of section 11 which is chargeable to tax @ ler section 115BBI and the amount of such deemed income?	Amount in Rs.	
			(i)	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes or ceases to be accumulated or set apart for application thereto	Yes/No	Amount in Rs.
			(ii)	Whether such income accumulated ceases to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11	Yes/No	Amount in Rs.
5BBI			(iii)	Whether such income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of Explanation 3 to third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (a) of sub-section (2) of section 11	Yes/No	Amount in Rs.
Section 115			(iv)	Whether such income accumulated is credited or paid to any trust or institution registered under section 12AA or section 12AB or to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10	Yes/No	Amount in Rs.
		(c)	(i)	Whether the auditee has any income which is income not to be excluded from the total income under twenty first proviso to clause (23C) of section 10 or clause (c) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	Yes/No	Amount in Rs.
			(ii)	Whether the auditee has any income which is not to be excluded from the total income under clause (b) of third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (d) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	Yes/No	Amount in Rs.
		(d)	of the inc	the auditee has any income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent. ome where such accumulation is not allowed under any specific provision of the which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such	Yes/No	Amount in Rs.
		(e)	Whether total inco	Amount in Rs.		
	34.	Anon	ymous doi		Amount in Rs.	
		Othe	r Income			Amount in Rs.
Other Income	35.	(a)	Whether such inco	Yes/No	Amount in Rs.	
Othe		(b)		s per Explanation 3B to sub-section (1) of section 11 in case of violation of clause Explanation 3A to sub-section (1) of section 11 read with clause (b) of sub-section		Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>

			80G												
		(c)	Income as per <i>Explanation</i> 1B to the third proviso to clause (23C) of section 10 in case of vio clauses (a) or (b) or (c) or (d) of <i>Explanation</i> 1A to the third proviso to clause (23C) of section clause (b) of sub-section (2) of section 80G								n 10 road with		Rs ule Corpus>		
		(d)	Income chargeable under sub-section (4) of section 11 Amount in Rs.												
Capital Asset	36.	Detai	ils of capita	ıl asset trans	transferred under sub-section (1A) of section 11										
		(1)	Whether a capital asset being property held under trust wholly for charitable purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?						or religious	Yes/No		Amount in Rs.			
		(2)	Whether deemed application is claimed as per clause (a) of sub-section (1A) and the amount of such deemed application?						of section 11	Yes/No		Amount in Rs.			
		(3)	Whether a capital asset being property held under trust in part only for charit religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred and the net consideration for the net considera							Yes/No		Amount in Rs.			
		(4)	Whether deemed application is claimed as per clause (b) of sub-section (1A) of section and the amount of such deemed application?							Yes/N	Yes/No Amount in Rs.				
		Appl	ication of i	ncome out o	of the following	g sources during the	previous year				_	l			
Application of income out od different sources	37.	(A)	Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or under sub-section (2) of section 11 during any earlier previous year						+Electronic n (Rs.)			than Total Amou (Rs.) < Fill sched AC>			
		(B)	Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year						(Rs.)			Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill schedule DI>	
		(C)	Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart					İ	(Rs.)			Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.)	
		(D)	Corpus						+Electronic modes (Rs.) Other Elect (Rs.)		ronic modes (Rs.)		Schedule		
		(E)	Borrowed fund						(Rs.) Ele			tronic modes (R		Amount	
		(F)	Any other (Please specify)						+Electronic modes (Rs.) Other Elect (Rs.)		than Total Amount (Rs.) Fill Schedul LB>				
	38.	Detai	ails of application resulting in payment or credit in excess of Rs. 50 lakh during previous year to a single person out of 37												
		S.no						ode of	f Application			TDS			
							+Electroni c modes		ner than ctronic des	Total		any TDS deducted)	Section under which TDS has been deducted	Amou nt of TDS	
													T		
13(10) and 22nd proviso to section 10(23C)	39.	(i)	If yes i	n (i) specify	the reason wl	cond proviso to claus ny the provisions of the applicable?							27	Yes/No	
		(ii)	sub-section (10) of section 13 are applicable? (a) Provision of proviso to clause (15) of section 2 is applicable Yes/N												
			(b)	condition specified in clause (a) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (i) of									Yes/No		
			(c)	condition specified in clause (b) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of										Yes/No	
			(d)	(d) condition specified in twentieth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated										Yes/No	
		(iii)	If yes in (i), please provide computation of income chargeable under twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13												
			(a)	Income for the previous year									Amount in Rs.		
			(b)	Lotal Expenditure incurred in India, for the objects of the auditee									Amount in Rs.		
			(c) Expenditure to be disallowed												

				(i)	finan			edit of the trust or institution as us year relevant to the assessm		Amount in Rs.				
				(ii)	Expe	nditure from any loan or borrov	wing			Amount in Rs.				
				(iii)		eciation in respect of an asset, a		which has been claimed as appli	cation of income, in	Amount in Rs.				
				(iv)	Expe	nditure in the form of contribut	tion or donation	on to any person.		Amount in Rs.				
				(v)	Capit	al expenditure				Amount in Rs.				
				(vi)				section (10) of section 13 or Ex with sub-clause (ia) of clause (a)		Amount in Rs. < fill schedule TDS disallowable >				
				(vii)		unt disallowable under Expland proviso to clause (23C) of se	Amount in Rs. < fill schedule 40A(3)/Schedul e 40A(3A)>							
				(viii)	Any o	other disallowance	Amount in Rs.							
				(ix)		expenditure to be disallowed (Amount in Rs.				
			(d)			able to tax under twenty-seco b+c(ix)}]	ond proviso to	clause (23C) of section 10 or	sub-section (10) of	Amount in Rs.				
		In ca	se auditee	is approve	d unde	r second proviso to sub-section	(5) of section	80G, please provide the following	ng details	1				
irred for soses		(a)			amount of expenditure incurred during the previous year which is of a religious nature unt of such expenditure Yes/No									
Incu	40	(b)	Total inco	ome of auc	ditee du	iring the previous year				Amount in Rs.				
ure	40.		Percentag	ge of exper	nditure	which is of religious nature to	the total incor	me [Amount in (a)/(b)]		%				
Expenditure Incurred for Religious Purposes		(c)												
		Deta	ils of speci	fied persor	n* as re	eferred to in sub-section (3) of	section 13							
	41.	in su 13	e of Person ab-section (fer Note^^>	(3) of secti		Name of such person	PAN of such person	Aadhar number of such person, if allotted	Address of such person	If code 2 selected in column (1) specify the amount of contribution made to the auditee				
	42.	Detai	ils of transa	ctions refe	rred to	in section 13 (2)								
	(a)					or property of the auditee is, or either adequate security or ade		be, lent to any specified person to both	for any period	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-a>				
	(b)					her property of the auditee is, previous year without chargin		b be, made available for the use on tor other compensation;	of any specified	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-b >				
o in 13(3	(c)	resou	irces of the	trust or in	stitutio			the previous year to any specifi h auditee and the amount so paid		Yes/No < If yes, fill Schedule SP-c >				
Person referred to in 13(3)	(d)		ther the ser ineration or				specified perso	on during the previous year with	out adequate	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-d >				
Pers	(e)		ther any sh ious year fo	person during the	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-e1/e2 >									
	(f)		ther any sh for conside	uring the previous	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-f1/f2 >									
	(g)	Whe	ther any inc	come or pr	roperty	of the auditee is diverted during	ng the previou	s year in favour of any specified	d person	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-g >				
	(h)		ther any further any speci	in any concern in	Yes/No < If yes, fill Schedule SP-h >									

	43.	Specifie	d Violation		
			r	es/No	Amount in Rs.
		(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the trust or institution.	Yes/No	Amount in Rs.
		(b)	Yes/No	Amount in Rs.	
Specified Violation		(c)	Yes/No	Amount in Rs.	
ecifiec		(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.	Yes/No	Amount in Rs.
S		(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.	Yes/No	Amount in Rs.
		(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.	Yes/No	< If yes, fill schedule other lav violation>
	44.	(23C) of	there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to clause section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been as an application of income and the amount of such depreciation?	Yes/No	If yes specify the amount
	45.	please s	of provisions of nineteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (7) of section 11, pecify whether the trust or institution has claimed deduction under section 10 [other than clause se (23C) and clause (46) thereof] during the previous year and the amount of such claim?	Yes/No	Amount in Rs.
	46.		the auditee has taken or accepted any loan or deposit or any specified sum, exceeding the limit I in section 269SS during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedu 269SS)
	47.	a day; o	the auditee has received an amount exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or from a person during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedu 269ST)
	48.	Whether specified	the auditee has repaid any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit in section 269T, during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Sched 269T)
	49.	Whether XVII-BI	the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter 3?	Yes/No	(If yes, fill Sched TDS/TCS/ Statement of TDS/TCS/ Intered on TDS/TCS as applicable)

Schedules	Schedules to fill as may be applicable < refer to instructions> Form 10B													
Scl	Schedule Corpus: Details of Corpus													
Type of corpus donation	Opening balance at the begin ning of the previous not applied till the begin ning of the previous not applied till the begin ning of the previous	orpus: Details Received/T reated as corpus during the previous year (2)	Applied durin g the previous year (3)	Amoun t investe d or deposit ed back in to corpus (which was earlier applied and not claime d as applica tion if such applica	Total amou nt invest ed or depos ited back in to corpu s (5)	Finan cial year in which (4) was applie d earlie r (6)	Closin g balanc e (7) [(1+2 +5)-3]	Inves ted in mode s specif ied in sectio n 11(5) (8)	Amou nt taxed in previo us assess ment year (9)	Inves ted in mode s other than specified in section 11(5) as on last day of the previous year (10)	of corpus for the purpose other than for contribution was made		tion is of the separate of the	forms and modes other those (5) of section 11.
	us year) (1)			tion fulfille d the conditi ons) (4)							Amount applied out of which the voluntary cor	Contribution or do	Maintained as no	invested or deposited in the specified under sub-section

(i) Ye	s/ Yes/	Yes/	Yes/
Represen N		No	No
ting			
donations			
received			
for the			
renovatio			
n or repair of			
repair of			
places			
notified			
under			
80G(2)			
(b) on or			
after			
01.04.20			
20			
(ii) -			
Other			
than (i)			
above			
received			
on or			
after			
01.04.20			
21			
(iii)			
Other			
than (i)			
and (ii)			
above			

Schedule FC: Details of forei	Schedule FC: Details of foreign contribution												
Nature of foreign	Amount of foreign contribution	Details of the total application from such contribution during the previous											
contribution received during	received during the previous years	year											
the previous year	(In Rs.)	Amount In Rs.											
(i) orpus													
(ii) on- corpus													
Total													

Schedule LB: Do	Schedule LB: Details of Loan and Borrowing												
Opening balance as on 1 st April of the previous year	Loan and borrowings taken for applications towards objectives during the previous year	Applied for the objects of the trust or institution during the previous year	Amount of repayment of loan or borrowing during the previous year (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions as required)	Financial year in which (4) was applied earlier	Total repayment of loan or borrowing during the previous year (In Rs.)	Closing Balance as on 31st March (1+2-6=7)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							

Schedu	Schedule Int App: Details of income applied outside India													
S.No.	Name of the person to whom remittance is made	Taxpayer Identification Number if available	Amount of remittance out of India which is reported in Form No. 15CA (In Rs.)	Amount of remittance outside India other than (4) (In Rs.)	Charitable or religious purpose for which application is made	Country of application	Whether applied for promoting international welfare in which India is interested and is and not to be included in total income of the auditee?	If approvoutside Ind Approval number		Date of approval				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				

Schedule DI: I	Details of deemed :	application u	nder Explana	tion 1 to sub-	section (1) of	section 11 and	deemed incor	ne under sub	-section
Year in which income is deemed to be applied (F.Y.)	Date of furnishing Form 9A (dd/mm/yyyy)	Amount deemed to be applied during the previous year referred to in column 1	Reason of deeming application (a) income has not been received during that year (b) any other reason	Out of the deemed application claimed earlier, amount required to be applied	Amount taxed in any earlier assessment year out of the amount referred to in column (5) (Fill schedule DA)	Out of the deemed application clamied, amount required to be applied during the financial year pertaining to current assessment year	Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the financial year relating to current AY	Amount which could not be applied and deemed to be income under section 11(1B) during the previous year	Balance Amount of deemed application
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(5)- (6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)- (7)=(10)
Dropdowns to be provided			Dropdowns to be provided						
Schedule DA:	Details of accumu	lated income	taxed in earlie	r assessment	years as per s	ub-section (1B) of section 11		
	Assessment year Dropdowns to be						eding the curre	ent previous y	ear
Year of accumulation (F.Y.)	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyy	yy Yyyy - yyyy	Yyyy	у – уууу		Yyyy –	уууу	
Dropdowns to be provided for last five previous years beginning from the current previous year Yyyy – yyyy									
Total									

Sche	Schedule AC: The details of accumulation															
S. N o.	Year of accum ulation (F.Y.)	Date of furnis hing Form 10 dd/m m/yyy y	Amou nt accum ulated in the year of accum ulation	Purpos e of accum ulation	Amo unt appli ed for chari table or religi ous/ purp oses up to the begi nnin g of the previ ous year	Bal anc e to be app lied (3)- (5)	Amo unt taxed in any earlie r asses smen t (Fill sched ule ACA	Balan ce avail able for appli catio n (6)- (7)	Amounts applie d for charita ble or religio us purpos e during the previo us year out of previo us years' accum ulation	Amou nt applie d for purpos es other than the purpos e for which such accum ulation was made (if applic able)	Amount credited or paid to any trust or institution registered under section 12AB or approved under subclauses (iv)or(v)or (vi)or(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)	Balan ce amou nt avail able for appli catio n (8) – (9) – (10) – (11)	Amo unt inve sted or depo sited in the mod es spec ified in secti on 11(5) out of (12)	Amo unt inves ted or depos ited in the mode s other than speci fied in section 11(5) out of (12) (if appli cable)	Amou nt which is not utilise d during the period of accum ulation (if applic able)	Amo unt deem ed to be inco me within theme aning of subsection (13) of section 111 (if applic able) (10)+ (11)+ (14)+ (15)
	(1) Provid e dropdo wn	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

for the								
last								
seven								
financi								
al								
years								
Total								

Schedule ACA: D	etails of accumulated inc	ome taxed in earlier assess	sment years under sub-sect	tion (3) of section 11								
	Assessment year in which this amount was taxed Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year preceding the current previous year											
Year of accumulation (F.Y.)	Yyyy – yyyy	Yууу – уууу	Үууу – уууу	Yууу – уууу	Yууу – уууу							
Dropdowns to be provided for last five previous years beginning from the current previous year Yyyy – yyyy												
Total												

Schedul previou		her any part of	income or proper	rty of the auditee i	s lent, or	continues to b	oe lent, to the	specified perso	n during the
S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	De	etails		Details of Seco	urity	Details o	f interest
			Nature of income or property which is lent	Amount for which income or property is, or continues to be, lent to specified person for any period during the previous year	Nature of securit y	Value of security	Value of adequate security	Actual rate of interest that is charged	Adequate rate of Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

S. No.	Name of specified person	PAN of specifie d person	Details of	asset	is, or cont made availab of specified	r which asset inues to be, ole for the use person during ious year,	Details of rent for the previous year		Details of other compensation for the previous year		
			Nature of asset	Address	From dd/mm/yy yy	To dd/mm/yyy y	Amount of rent	Adequate rent	Nature	Amount of compensat ion	Adequate compensati on
(1)	(2)	(3)	<pre>(4) < land/ building/ other property ></pre>	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Schedule SP-c: Details of salary, allowance or otherwise which is paid to the specified person out of the resources of the auditee for services rendered by him during the previous year												
S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of services rendered by specified person	Details o	of payment for the previou	us year							
				Nature of payment	Amount of payment (in Rs)	Reasonable amount for services							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							

		< Salary/ Allowance/	
		Otherwise (please	
		specify)>	

Schedule SP-	Schedule SP-d: Details of the services of the auditee are made available to the specified person during the previous year?												
S. No.	Name of	PAN of	Details o	f services		emuneration vious year	Details o	of compensation previous year	n for the				
	specified person	specified person	Nature of services made available	Value of services made available (In Rs.)	Actual amount of remunerati on for the service	Adequate remunerati on for the service	Nature of compensati on for the service	Actual amount of compensati on for the service	Adequate compensat ion				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				

	Name of	PAN of	Nature of	Details of Shares or Security					Details of other property being movable				
S. No.	specified person	specified person	property purchas ed	Name of the compan y/ concern of which the shares are purchase d	Number of shares purchase d during the previous year	Price of each share/se curity	Total consider ation paid share or security	Adequat e consider ation for shares or security	Nature of property	Number of property purchase d	Price of property	Total consider ation paid for property during the previous year	Adequ ate Consid eration
			< Share/ Security/ Other Property >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Schedule SP-	e 2 : Details in ca	se of other prop	erty being immov	vable:				
S. No.	Name of	PAN of	Type of asset	Address of	Area (in Sq	Stamp duty	Details of Cons	ideration
	specified person	specified person		property	ft)	value	Amount of considertaion paid for asset	Adequate consideratio n for asset
			< Land/ Residential/ Commercial Property etc)>					

Sche	dule SP- f 1	1: Details (of any shar	e, security s	sold by or	on behalf	of the trust or	· institution to	a specifie	d person di	ıring the p	revious year?	
S.	No specifi ed propert	of		Details of Shares or Security					Details of Other Property being Movable				
	ed person	eu person	y sold	Name of the Compa ny or Concer n of which the shares are sold	Numbe r of shares sold during the previo us year	Price of each share or securit y	Total considerati on share /security	Adequate considerati on for share or security	Nature of movab le propert y	Number of movabl e properti es sold	Price of movab le propert y	Total considerati on for property during the previous year	Adequate considerati on
			<share <br="">Security/</share>										

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 43

			Other Property >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Sche	edule SP- f 2	: Details in o	case of other p	property b	eing imr	novable:			
S. No.	Name of specified	PAN of specified	Type of asset	Address of property	Area (in Sq	Stamp Duty	Details of (Consideration	
	person	person			ft)	Value	Amount of consideration for asset	Adequate consideration asset	for
			< Land/ Residential/ Commercial Property etc>						

	dule SP-g: Details of any income or page of specified person	property which i	is is diverted during the p	revious year in favour of
S No	Name of specified person in whose favor income or property diverted	PAN of specified person	Details of Income or property th	at is diverted
			Nature of Income or property that is diverted	Value of income or property that is diverted (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Schedule I interest	h: Details of a	any funds th	nat are, or con	itinue to	remain,	invested in any o	concern during	g the previous	year in which	the specified	person has a	substantial
S No			Details of	f the Con	icern in w	hich funds are, or	continue to ren	nain, invested		Details	of substantial i	interest
Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Name of concern	Address of concern	Amount that is or continues to remain invested in concern during the year (In Rs.)	the pre	evious yea	To dd/mm/yyyy	Nature of investment	Income from investment during the year	Name of specified person having substantial interest in concern	PAN of specified person	Nature of substantial interest	Nature of concern in which funds are continue to remain invested
	< Company/ Others>											

Schedul	e other law violation					
S.no	Name of law under which non-compliance has occurred	Nature of non- compliance	Date of order, direction or decree, holding that such non- compliance has occurred	Whether the order, direction or decree, has been disputed before any court or appellate forum	If yes, whether dispute has attained finality	Has the dispute been finalised in favour of the auditee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	Schedule TDS disallowable: Details of amounts inadmissible amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or subsection (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40:								
(a) Details of payment	(a) Details of payment on which tax is not deducted								
Date of payment dd/mm/yyyy	Amount of payment (in Rs.)	Nature of p	ayment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)			
(b) Details of payment 139	on which tax has bee	n deducted but has	not been paid	on or before th	e due date speci	fied in sub-	section (1) of section		
Date of Payment Dd/mm/yyyy	Amount of payment (in Rs.)	Nature of Name of payment Payee		PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		

	Schedule 40A(3): Details of amount is disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A								
S. No.	1 2	Nature of payment	Details of payee						
			(In Rs.)	Name	PAN or aadhar, if available	Address			

	Schedule 40A(3A): Details of Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C)/sub-section (1) of section 11 read with subsection (3A) of section 40A									
S. No.	Date of payment	Amount	Nature	Details of payee						
				Name	PAN or Aadhar, if available	Address				

Sched year	ule 269SS: De	tails of loan	or deposit	or any specifi	ied sum taken,	exceeding the l	imit specified in sec	tion 269SS during t	he previous
S.No	Name of the lender or depositor	PAN or aadhar, if available	Address	Loan or deposit or any specified sum	Amount of loan or deposit taken or accepted	Whether the loan or deposit was squared up during the previous year? Yes/No	Maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether account payee if by cheque or Bank draft?

Schedule 269ST: Details of amount received exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?

	I	Details of Pay	yee		De	tails of Transaction			Mode of Repayment			
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan or deposit or any specified advance	Amount	Please specify mode of receipt [by Cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other]	Whether Account payee, if by cheque or bank draft?	Whether squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or nay other mode	Whether Account Payee if by cheque or bank draft?	

	ous year?	Details of T	ераушен (л апу ап	iount	being toan	or deposit	or any sp	ecineu auvanc	e exceeding (me mint specifie	u in section 20	91,0	iuring the
		Details of Pay	/ee		Details of Transaction				Mode of Repayment					
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan deposit any specifie		Amount	Please specify mode receipt	of	Whether Account payee, if by cheque	Whether Squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque Bank draft use electronic		Whether account payee if by cheque or

bank draft?

clearing system

through a bank

account or nay other mode

cheque or bank draft?

advance

[by cheque or Bank draft or

use of electronic

clearing system through a bank account or any other]

Schedule TD	OS/TCS								
Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Section	Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule Statement of TDS/TCS									
Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					

Schedule Interest on TDS/TCS			
Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2)	Date of payment Dd/mm/yyyy
(1)	(2)	(3)	(4)

Notes to Form 10B

- Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act shall be referred as "auditee" in this form;
- Any person referred to in sub-section (3) of section 13 shall be referred as specified person in this form; (2)
- (3) *In serial number 6, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the proviso to sub-rule (3) of rule 17AA;
- (4)**In serial number 9, for the section under which registered or provisionally registered or approved or provisionally approved one of the following codes shall be selected (details of all the registration/provisional registration or approval or provisional approval or notification which are valid during the previous year should be provided, however where the auditee has got the registration or approval, after provisional registration or approval the details of provisional registration or approval need not be provided):

S. No	Section	Code
(1)	Clause (a) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	1
(2)	Clause (b) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	2
(3)	Clause (c) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	3
(4)	Clause (i) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	4
(5)	Clause (ii) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	5
(6)	Clause (iii) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	6
(7)	Clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	7
(8)	Clause (iia) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	8
(9)	Clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	9
(10)	Clause (i) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	10
(11)	Clause (ii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	11
(12)	Clause (iii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	12
(13)	any other, please specify	13

(5). #In row 10(a), in column (2) for relation one or more of the following codes shall be selected

S. No	Section	Code
(1)	Author	1
(2)	Founder	2
(3)	Settlor	3
(4)	Trustee	4
(5)	Members of society	5
(6)	Members of the Governing Council	6
(7)	Director	7
(8)	Shareholders holding of 5% or more of shareholding	8
(9)	Office Bearer s	9
(10)	Others	10

(6) ##In serial number 10(a), in column (5), and in serial number 10(b), in column (4) for ID code, the following should be filled:

(a) If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of identification	Code				
PAN	1				
Aadhar number	2				
(b) If neither PAN or Aadhar is availa	able, one of the following should be filled:				
Type of identification	Code				
Taxpayer identification Number of the country	3				
where the person resides;					
Passport number;	4				
Elector's photo identity number	5				
Driving License number	6				
Ration card number	7				

(7). \$ In serial number 11, for the objects of the auditee, one or more of the following options shall be selected:

S.no	Object	Code
(1)	Religious	1
(2)	Relief of poor	2
(3)	Education	3
(4)	Medical relief	4
(5)	Yoga	5
(6)	Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)	6
(7)	Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest	7
(8)	Advancement of any other objects of general public utility	8

(8) \$\$In serial number 14(ii), in column (2) one or more of the codes shall be selected:

S.No	Nature of books of account or other document as provided in rule 17AA	Code
(1)	Cash book	1
(2)	Ledger	2
(3)	Journal	3
(4)	Copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee	4
(5)	Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person	5
(6)	Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions effected	6
(7)	Books of account, as referred in Serial No. 1 to 6, for business undertaking referred in sub-section (4) of section 11 of the Act	7
(8)	Books of account, as referred in Serial No 1 to 6,, for business carried on by the assessee other than the business undertaking referred to in sub-section (4) of section 11 of the Act	8
(9)	Record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives	9
(10)	Record of income of the person during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(ii)	10
(11)	Record of application of income etc. out of income during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(iii)	11
(12)	Record of application of income out of the income of any previous year preceding the current previous year as per rule 17AA(1)(d)(iv)	12
(13)	Record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus, as per rule $17AA(1)(d)(v)$;	13
(14)	Record of contribution received for the purpose of renovation or repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under clause (b) of sub-section (2) of section 80G which is being treated as corpus, as per rule 17AA(1)(d)(vi)	14
(15)	Record of loan and borrowings as per rule 17AA(1)(d)(vii)	15
(16)	Record of properties as per rule 17AA(1)(d)(viii);	16
(17)	Record of specified persons as per rule 17AA(1)(d)(ix);	17
(18)	Any other documents containing any other relevant information as per rule $17AA(1)(d)(x)$.	18

- (9) ^In serial number 17 (ii)(c) and 18(ii)(c) upload the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Audit Report in Form 3CA or 3CB as applicable (e-filing utility to provide upload facility) for the business undertaking or business incidental to objects.
- (10) + Electronic modes shall be the following modes referred in rule 6AABA of the Income-tax Rules, 1962:
 - (a) Credit Card;
 - (b) Debit Card;
 - (c) Net Banking;
 - (d) IMPS (Immediate Payment Service);

- (e) UPI (Unified Payment Interface);
- (f) RTGS (Real Time Gross Settlement);
- (g) NEFT (National Electronic Funds Transfer); and
- (h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhar Pay;

(11) ^^In serial number 41, select one or more of the following codes for specified person:

S.	Nature of person	Code
No		
(1)	the author of the trust or the founder of the institution;	1
(2)	any person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is to say, any person whose total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds fifty thousand rupees;	2
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee of the trust or manager (by whatever name called) of the institution;	4
(5)	any relative of any such author, founder, person, member, trustee or manager as aforesaid;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred above have a substantial interest.	6

- (12) Particulars in Schedule 269ST need not be given in the case of receipt by or payment to a Government company, a banking Company, a post office savings bank, a cooperative bank or in the case of transactions referred to in section 269SS or in the case of persons referred to in Notification No. S.O. 2065(E) dated the 3rd July, 2017;
- 5. In the principal Rules, for the Form No. 10BB, the following form shall be substituted, namely:-

'FORM No. 10BB

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to be furnished under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 or a trust or institution which is required to be furnished under sub-clause (ii) of clause (b) of section 12A

- * I/We have obtained all the information and explanations to the best of *my/our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at row 11 of the Annexure:

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications, if any—

(a)	
(b)	
(c)	

In * my/our opinion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said accounts give a true and fair view—

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named * fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution as on ;and
- (ii) in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application/ profit or loss of its accounting year ending on

subject to the following observations/qualifications—

(a)	
(b)	
(c)	

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place : Date :

Signed Accountant †
Name
Membership Number
Address

Notes:

- 1. *Strike out whichever is not applicable.
- 2. †This report has to be given by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).
- 3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

					S	ANNEXURE								
	1.	PAN o	of the au	ditee						A B	C D	E 1 2	3	4 F
-	2.	Name	of the au	ditee										_
S	3.	Assess	ment Ye	ar										
Basic Details	4.	Previo	us Year							То	m m y			
·	_	Registered address of the auditee											у	
-	5. 6.			s, if applicable						< refer no	.to*\			
	7.		f the auc	· ••							Society	/ The Co	mpany	Others
Legal	8.				lished under an ins	strument?				Yes/No		Ш		<u> </u>
ŭ	о.	vv neun	or the at	iance is estab	nished under an me	strument:				1 03/110				
	9.	(a)		ng Council/ Di he previous ye	rector (s)/ shareho	Author (s)/ Found Iders holding 5% o								
		Name person		elation refer note#>	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	Id Coo		Addre ss	Whether relation of audit Yes/No				If yes, specify the change
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)				(8)
nent		(b)		•		the persons [as me							de the	following
Management		Sl. No.		Name	Unique Identification Number	ID code < refer note##>	Add ress	Non- indivi- perso menti serial numb 9(a)]	n [as ioned in	Percentag beneficial ownershi	ĺ	Whe there any chan durin prev year	ge ng ious	If yes, specify the change
								which benef owne held	icial			audit Yes/		
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)
јс	10.	(i)			s been granted pro- enced during the pr		n or pro	visiona	l approval	, whether	Yes/N	О		
nent e		(ii)			of commencement of						d d	m m	уу	уу
nenceme		(iii)	If the a	newer to 10(i)	is ves whether and	alication for registr	ation un	der sect	ion sub-c	lause (iv)	Yes/No			
Commencement of activities		(iii) If the answer to 10(i) is yes, whether application for registration under section sub-clause (iv) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section 10 has been filed?								103/14				
		(iv)	If yes i	n 10(iii) above	, the date of applica	ation for registratio	n or app	roval			d	d m n	n y	у у у
ooks r n	11.	(i)			account and other at such place as pro					n the	Yes/No	0		
othe		(ii)	If Yes	n (i) above, w	hether books of acc	ount maintained ar	e mainta	ained at	registere	d office?	Yes/No	0		
wh and		(iii)			provide the following	ng details regarding	g any pla	ace othe	er than the	registered	place wh	nere the bo	ooks of	account
Place units ents				ntained Address of su	ch place where the	hooks are maintain	ed.							
s of accc			` ′		on by management			ice				dd/mm/y	yyy	
Details of Place where books of accounts and other documents have been			(c)		ntion to Assessing (1			ich place	under prov	iso to	dd/mm/y		
	12.	Wheth	l.		m No. 10BD for th	e previous year < 1	If No the	en skip	to serial n	umber 14 >		Yes/No		
ŀ	13.				ed in Form No. 10E							(Amount	in Rs.)
ions	14.				m No 10BD/ Not re				*			Amount i		
Voluntary contributions	15.			•	received by the aud	•			-14)]			Amount i	n Rs.	
ontr	16.				it of the total volun							Amount i	n Rs.	
uy c	17.				ng part of corpus (v	-						Amount i	n Rs.	
unta	18.		-		e @30% under sec							Amount i	n Rs.	
Vol	19.	Applic		side India for	which approval as j		clause (c) of su	b-section	(1) of section	on 11	Amount i		
ŀ	20.				red to be applied by	y the auditee during	g the pre	vious y	ear [15-(17+18+19)		Amount i	n Rs.	
	21.				contributions derive		_					Amount i	n Rs.	

				tion or trust or any university			nny hospital or					
	22.			ied in India by the auditee du				Am	nount in Rs.			
	23.			luding application not eligib			27)					
		(i)	1	ied for charitable or religious				Am	ount in Rs.			
		(ii) Amount which was not actually paid during the previous year [if included in (i)]					Am	ount in Rs.				
						Am	ount in Rs.					
		(iv) Total amount to be allowed as application [23(i)-23(ii)+23(iii)]					Am	ount in Rs.				
		(v)	Amount invested of	or deposited back in corpus v	which was app		ing previous year		ount in Rs.			
		(.,		s application during that prevalence or borrowing during the pre-		Li-Llili	1 4 4 1-: 4	<>				
		(vi)		ing that previous year	evious year w	men was earner appned	and not claimed	AIII	ount in Rs.			
		Amount to be disallowed from application										
		sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40							nount in Rs. ill schedule TDS allowed>			
		(viii)		wable under thirteenth provis I read with sub-section (3) or			3 to sub-section	< I 40A	nount in Rs. Fill schedule A(3)/schedule A(3A)>			
		(ix)	any hospital or	fund or institution or trust of other medical institution refe section 10 of the Act or any corpus	erred to in sub	- clauses (iv), (v), (vi)	or (via) of	Am	nount in Rs.			
Application of Income		(x) Donation to Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act not having same objects							nount in Rs.			
		(xi) Donation to any person other than any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act							nount in Rs.			
		(xii)		side India for which approva as not been obtained	ıl under the pı	roviso to clause (c) of	sub-section (1)	Am	nount in Rs.			
		(xiii)		side India for which approva as been obtained	proval under the proviso to clause (c) of sub-section (1)				ount in Rs.			
		(xiv)	Applied for any	Amount in Rs.								
		(xv) Any other disallowance						Amount in Rs.				
		(xvi)	Total allowable	application [{23(iv)+23(v)-	(vii) to 23(xv)}]	` '/'						
		(xvii	Amount deemed to sub-section (we been applied during the previous year under clause (2) of Explanation 1 ection 11				Amount in Rs.			
		(xvii		ated under the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section (2) of section 11				Amount in Rs.				
		(xix)	Income accumu	ated or set apart for application to charitable or religious purposes or stated r institution to the extent it does not exceed 15 % of the income					nount in Rs.			
	24.	Taxa	ble income 22- [23(xv					Am	ount in Rs.			
	25.		ne taxable under section						ount in Rs.			
	26.	Anor		Am	ount in Rs.							
			•	of the following sources duri				Am	nount in Rs.			
es		(A)	Income accumulated section 11 during any	under the third proviso to clar earlier previous year	ause (23C) of	section 10 or under sub	o-section (2) of	Tot	al Amount (Rs.)			
different sources	27.	(B)	Income deemed to be (1) of section 11 during	Tot	al Amount (Rs.)							
eren	۷,۰	(C)	Income of earlier pre	Tot	al Amount (Rs.)							
diff		(D)	Corpus	Tot	al Amount (Rs.)							
		(E)	Tot	al Amount (Rs.)								
		(F)	Tot	al Amount (Rs.)								
3	28.	Deta										
in 13(3)		to in section	of person referred sub-section (3) of on 13 er Note^>	Name of such person	PAN of such person	Aadhar number of such person, if allotted	Address of such person		If code 2 selected column (1) specifithe amount of contribution made the auditee			

29.	Deta	ils of income/property referred to in section 13 (2)		
(a)	Whe perso both	ether any part of the income or property of the auditee is, or continues to be, lent to any specified on for any period during the previous year without either adequate security or adequate interest or	Yes/No	If yes amou in Rs.
(b)	use o	ther any land, building or other property of the auditee is, or continues to be, made available for the of any specified person, for any period during the previous year without charging adequate rent or compensation	Yes/No	If yes amou in Rs.
(c)	speci	ther any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the previous year to any ified person out of the resources of the auditee for services rendered by that person to such auditee he amount so paid is in excess of what may be reasonably paid for such services	Yes/No	If yes amor in Rs.
(d)		ther the services of the auditee are made available to any specified person during the previous year out adequate remuneration or other compensation	Yes/No	If yes amor in Rs.
(e)		ther any share, security or other property is purchased by or on behalf of the auditee from any ified person during the previous year for consideration which is more than adequate	Yes/No	If yes amor in Rs.
(f)		ther any share, security or other property is sold by or on behalf of the auditee to any specified on during the previous year for consideration which is less than adequate	Yes/No	If yes amoin Rs.
(g)		ther any income or property of the auditee is diverted during the previous year in favour of any ified person	Yes/No	If yes amo in Rs.
(h)		ther any funds of the auditee are, or continue to remain, invested for any period during the previous in any concern in which any specified person has a substantial interest	Yes/ No	If yes amo in Rs.
30.	provi	ether the auditee has incurred any specified violation as referred to in Explanation 2 to the fifteenth iso to clause (23C) of section 10 or Explanation to sub-section (4) of section 12AB and the amount of violation	Yes/No	Amount in
	(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the trust or institution.	Yes/No	Amount in
	(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.	Yes/No	Amount in
	(c)	Whether the auditee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.	Yes/No	Amount in
	(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.	Yes/No	Amount in
	(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.	Yes/No	Amount in
	(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.	Yes/No	
31.	(23C	ther there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to clause of of section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been need as an application of income and the amount of such depreciation?	Yes/No	If yes spec the amoun
32.		ther the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or otter XVII-BB	(If yes, TDS/TCS/ TDS/TCS as	fill Sche

Schedules to	Schedules to fill as may be applicable < refer to instructions> Form 10BB													
	Schedule TDS disallowable: Details of amounts inadmissible and amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40:													
(a) Details of payment on which tax is not deducted														
Date of Payment dd/mm/yyyy	Payment payment payee, if available													
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								
(b) Details of p section 139	ayment on whi	ch tax has been	deducted b	ut has not been paid (on or before the due d	ate specified in s	ub- section (1) of							
Date of Payment dd/mm/yyyy	Payment payment Payee payee, if available tax dedu				Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							

	Schedule 40A(3): Details of amount is disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A											
S. No.	Date of payment	Amount of payment (In Rs)	Nature of payment (In Rs)	Details of payee								
				Name PAN or Aadhar, if available Address								

	Schedule 40A(3A): Details of Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A												
S. No.	Date of payment	Amount	Nature	Details of payee									
				Name PAN or Aadhar, if available Address									

Schedule T	DS/TCS								
Tax deduction and collection account number (TAN)	Section	Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule Statement of TDS or TCS							
Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			

Schedule Interest on TDS/TCS			
Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2).	Date of payment of amount
(1)	(2)	(3)	(4)

Notes to Form 10BB

- 1. Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act shall be referred as "auditee" in this form;
- 2. **Any person referred to in sub-section (3) of section 13 shall be referred as specified person in this form;
- *In serial number 6, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the proviso to subrule (3) of rule 17AA;
- 4. #In serial number 9(a), in column (2) for relation one or more of the following codes shall be selected

S. No	Section	Code
(1)	Author	1
(2)	Founder	2
(3)	Settlor	3
(4)	Trustee	4
(5)	Members of society	5
(6)	Members of the Governing Council	6
(7)	Director	7
(8)	Shareholders holding 5% or more of shareholding	8
(9)	Office Bearer (s)	9
(10)	Others	10

5. ##In serial number 9(a), in column (5), and in serial number 9(b), in column (4) for unique identification number and if code, the following should be filled:

(c) If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhar Number	2

(d) If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

6. ^In serial number 28, select one or more of the following codes for specified person:

S. no	Nature of person	Code
(1)	the author of the trust or the founder of the institution;	1
(2)	any person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is to say, any person whose	2
	total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds fifty thousand rupees;	
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee of the trust or manager (by whatever name called) of the institution;	4
(5)	any relative of any such author, founder, person, member, trustee or manager as aforesaid;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred above have a substantial interest.	6

[Notification No. 7/2023 [F. No.370142/47/2023-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 95 (E), dated 14th February, 2023.